



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 12, मंगलवार, शाके 1943-अगस्त 3, 2021  
Sravana 12, Tuesday, Saka 1943- August 3, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 26, 2021

जी.एस.आर.314 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशकों की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और घतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम, 2014 द्वारा शासित पदों पर, उन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, लागू नहीं होंगे।

ENG

2. परिभाषाएं:-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से, राज्य सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में, सरकार और ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा इस निमित्त शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जायें, अभिप्रेत है और अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित है जिसे सरकार के अनुमोदन से निदेशक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों को करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जाये;

(ख) "बोर्ड" से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "समिति" से नियम 31 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "विभाग" से माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग अभिप्रेत है;

(च) "निदेशक" से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;

(छ) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है;

(ज) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

- (झ) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन नियमित चयन के आधार पर सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है.
- (ट) "विद्यालय" से प्रारंभिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन चालू समस्त विद्यालय अभिप्रेत हैं.
- (ठ) "सेवा" से राजस्थान शिक्षा सेवा या, यथास्थिति, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा, अभिप्रेत है ;
- (ड) "सेवा" या "अनुभव" जहां कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र कोई निम्नतर पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके लिए उस व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो।

**टिप्पण:** सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन "इयूटी" के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की स्थापना करने के लिए सेवा के रूप में भी गिनी जायेगी.

- (ढ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;
- (ण) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गयी कोई नियुक्ति सम्मिलित है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो ;

**टिप्पण:** इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन में अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, या तो नियम 5 के अनुसार सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी, भर्ती सम्मिलित होगी; और

- (प) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन.-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

## भाग 2

### संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.- (1) सेवा में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची-1 या, यथास्थिति, अनुसूची-11 के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(3) सेवा में पृथक्-पृथक् संवर्ग होंगे जो अनुसूची-I और अनुसूची-II के समूहों में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सरकार, -

(क) आवश्यक पाये जाने पर किसी भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) का समय-समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी; और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर रिक्त या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुगत कर सकेगी।

5. सेवा का प्रारंभिक गठन.- सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,-

(क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति; और

(ग) नियम 35 के अधीन किसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति।

भाग 3

भर्ती

6. भर्ती की रीतियाँ.- (1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में के पद पर भर्ती अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II के स्तम्भ 3 और 4 में यथा उपदिशित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी, अर्थात्:-

(क) इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और

(ख) इन नियमों के भाग 5 में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्ति किसी भी समय इन नियमों/अनुसूचियों में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय-समय पर यथा स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, जहां आवश्यक हो, आयोग से परामर्श करके यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष-विशेष में भर्ती की किसी भी रीति से नियुक्ति के लिए उपर्युक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से नियुक्ति उसी प्रकार की जा सकेगी जैसी इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(3) अनुसूची-II 'अधीनस्थ सेवा पद' के "समूह क: अध्यापन विंग" में यथा निर्दिष्ट अध्यापकों के मामले में, 100 प्रतिशत रिक्तियाँ, पंचायत समितियों के अधीन विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के स्थानांतरण द्वारा भरी जायेगी:

परन्तु,-

- (क) अध्यापक सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध करवाये जायेंगे;  
 (ख) वे इन नियमों के अधीन पदों के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हों; और  
 (ग) उनका अभिलेख संतोषप्रद पाया गया हो।

(4) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी आपात के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों द्वारा विनियमित होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा-मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताओं और अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग और यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति के अध्याधीन रहते हुए,-

- (i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय-समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल-9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;  
 (ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय-समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल-10 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके;  
 (iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय-समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल-9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

भर सकेगा:

परन्तु,-

- (i) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा;  
 (ii) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी का कार्मिक, जिसकी मृत्यु हो गयी है या जो स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या संतानें तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उसका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए रोजगार चाहती है।

(4) ऐसा आश्रित उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा-मिलिटरी बलों के मामले में पैरा-मिलिटरी यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अधीन विचार किया जायेगा कि आश्रित ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, सिवाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के, जिसके लिए शैक्षिक अर्हता शिथिल की जायेगी, तथा पद के लिए विहित आयु सीमा पूरी करता है और आवेदक सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अर्पित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन, खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन के किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्ति पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा आवेदन, सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी:-

- (i) सशस्त्र बल/पैरा-मिलिटरी बल के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम ;
- (ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी;
- (iii) युद्ध में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान; और
- (iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका संबंध (प्रमाणपत्रों सहित)।

**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- (क) "सशस्त्र बल" से संघ की थल सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत है;
- (ख) "आश्रित" से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा-मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे ;

**टिप्पण:** दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

- (ग) "पैरा-मिलिटरी बल" से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा-मिलिटरी बल अभिप्रेत है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये; और
- (घ) "स्थायी रूप से अशक्त" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में यथा परिभाषित "सदंभित दिव्यांगजन" पद की परिभाषा के अधीन आता है।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती के समय अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति, ऐसे आरक्षण के लिए सरकार के प्रवृत्त आदेशों के अनुसार होगा।

- (2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता-एवं-योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।
- (3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नति व्यक्तियों के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।
- (4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित किये गये मूथक-पृथक रोस्टर्स के अनुसार ही की जायेंगी।

(5) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी:

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती आयोजित नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए

आरक्षित रिक्त पद (पदों) के प्रति अर्जेंट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, वह पद रिक्त करना होगा:

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रणीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

**9. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष-विशेष में पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

**10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय होगी।

**11. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** उन पदों को छोड़कर जो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं या बने हैं, अन्य समस्त पदों के लिए, सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला-अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह-महिलाओं में से किसी में भी पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को पहले अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह-महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह-अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह-महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

12. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सेवा के अधीन सीधी भर्ती के लिए चिह्नित, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षेत्रीय आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण: "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, और जिन्होंने,-

(i) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय द्वारा आयोजित, उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में उल्लिखित किसी खेलकूद के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,-

क्र.सं.	अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय	टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप का नाम
1.	2.	3.
1.	अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलंपिक खेल(ग्रोष्मकालीन)
2.	एशिया ओलंपिक परिषद् (ओ.सी.ए.)	एशियाई खेल
3.	दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद् (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियाई खेल; सामान्यतः एस.ए.एफ. गोम्स के रूप में जाना जाता है
4.	कॉमन वेल्थ गोम्स फेडरेशन (सी.जी.एफ.)	कॉमनवेल्थ गोम्स
5.	आई.ओ.सी. से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन	वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप
6.	ओ.सी.ए. से संबद्ध एशियाई स्पोर्ट्स फेडरेशन	एशियाई चैम्पियनशिप
7.	अंतरराष्ट्रीय स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (आई.एस.एस.एफ.)	अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल/ चैम्पियनशिप
8.	एशियाई स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ए.एस.एस.एफ.)	एशियाई स्कूल खेल/चैम्पियनशिप

या

(ii) भारत के स्कूल गोम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के स्कूल नेशनल गोम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या



- (iii) इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या उससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

- (iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

- (v) भारत ओलंपिक एसोसिएशन/भारत पैरा ओलम्पिक समिति या उससे संबद्ध राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के राष्ट्रीय खेल/ राष्ट्रीय पैरा गेम्स या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/पैरा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

**13. राष्ट्रीयता.-** सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह-

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो ; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो ; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैर और इथियोपिया से आया हो;

परन्तु (ख), (ग) (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

**14. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.-** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

**15. रिक्तियों का अवधारण-** (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद अनुसूचियों में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद अनुसूचियों में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के

पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा यदि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

16. आयु-सेवा में सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को,-

- (क) राज्य सेवा में के पद के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए,  
 (ख) अधीनस्थ सेवा में के पद (पदों) के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:

परन्तु,-

(i) उपरिल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को,-

- (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक,  
 (ख) सामान्य प्रवर्ग और अधिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;  
 (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक,

शिथिल किया जायेगा;

- (ii) उपरिल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;  
 (iii) अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था/थी और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;  
 (iv) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में दी गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा;  
 (v) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत में सेवा दे रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी;  
 (vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हों आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;  
 (vii) विधवाओं और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी;

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न-विवाह महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

- (viii) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों को, यदि वे प्रारंभिक रूप से नियुक्ति किये जाने के समय आयु सीमा में होते, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे, और
- (ix) यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में सीधी भर्ती के लिए, हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक की अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

17. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं और अनुभव-अनुसूची- I या, यथास्थिति, अनुसूची- II में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता रखेगा,-

- (i) अनुसूची- I या, यथास्थिति, अनुसूची- II के स्तम्भ 5 में यथा विहित अर्हताएं और अनुभव; और  
(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान:

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे -

- (क) जहां चयन लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ;  
(ख) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ; या  
(ग) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

18. चरित्र.- सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सचचरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पणः(1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में ही सचचरित्रता प्रमाणपत्र दिये जाने से इन्कार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्गुप्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित

सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरहता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चातवर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्गस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे पश्चातवर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्गस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चातवर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चातवर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चातवर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

**19. शारीरिक उपयुक्तता.-** सेवा में सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पदों के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और उसकी आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

**20. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.-** कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेजों जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लेने का दोषी है या आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/समिति द्वारा दोषी घोषित किया गया है, वह दायित्व कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त,-

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग/बोर्ड/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,  
या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए दिवर्जित किया जायेगा।

21. संचाचना.- इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

#### भाग 4

#### सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

22. प्रतियोगी परीक्षा.- सेवा में के विभिन्न पदों की समस्त सीधी भर्तियां, अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जायेगी।

23. परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी, पाठ्य विवरण और परीक्षा की आवृत्ति.- (1) परीक्षा, आयोग या बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित पाठ्य विवरण के अनुसार आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती, वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी, जब तक कि सरकार यह विनिश्चित न करे कि इन पदों के लिए सीधी भर्ती किसी वर्ष-विशेष में आयोजित नहीं की जायेगी।

24. आवेदन आमंत्रित करना.- (1) आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन, राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, भरी जाने वाली रिक्तियों को विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का फर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद के पे मैट्रिक्स के लेवल में वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

#### सत्यमेव जयते

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय यदि, आयोग/बोर्ड/समिति/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उन्हें/उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन करने से पूर्व प्राप्त हो जाये तो, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/समिति, नोटिस के साथ या ऐसी अन्य रीति से जो वे/वह उचित समझें/समझे, अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित ब्यौरों पर सूचना देते हुए, ऐसे अनुदेश जो वे/वह आवश्यक समझें/समझे जारी कर सकेंगे/सकेगा:-

- (i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं इत्यादि से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या उपदर्शित करते हुए, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या;
- (ii) परीक्षा में उपस्थित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख और प्रस्तुतीकरण की रीति;
- (iii) अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित अर्हताएं और रीतियां जिसके द्वारा ये अर्हताएं स्थापित की जायेंगी;
- (iv) परीक्षा का स्थान और तारीख; और
- (v) परीक्षा का पाठ्य विवरण।

25. आवेदन का प्ररूप और परीक्षा में प्रवेश.- (1) आवेदन आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा और उसे आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो आयोग/बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा।

(2) परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी को नियमों में यथा उपबंधित आयु, शैक्षिक/वृत्तिक अर्हताओं, अनुभव इत्यादि के संबंध में अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। परीक्षा/साक्षात्कार लेने के लिए अनुज्ञात किया जाना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनाता। नियम 28 के अधीन सूची तैयार करने से पूर्व, आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी, तत्पश्चात केवल ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये हैं के आवेदनों की संवीक्षा करेगा।

(3) परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

26. आवेदन फीस.- (1) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को उनके/उसके द्वारा समय-समय पर नियत फीस का, ऐसी रीति से, जो उनके/उसके द्वारा उपदर्शित की जाये, संदाय करेगा।

सत्यमेव जयते

(2) परीक्षा फीस के प्रतिदाय के लिए, किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही फीस किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखी जायेगी, सिवाय उस मामले के जब आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कारण से विज्ञापन रद्द कर दिया गया है, जिसमें आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा नियत रकम, प्रतिदाय करने से पूर्व काटी जायेगी।

27. आवेदनों की संवीक्षा.- आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उनके/उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगे/करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वे/वह वांछनीय समझें/समझे, साक्षात्कार/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेंगे/करेगा।

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

28. आयोग/बोर्ड/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें.- आयोग/बोर्ड या समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त

समझे, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में क्रमांकित नामों की एक सूची तैयार करेंगे और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अद्योषित करेंगे। आयोग/बोर्ड या समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहा है:

परन्तु,-

(i) उपर्युक्त यथा नियत प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत तक शिथिल किया जायेगा।

(ii) आयोग/बोर्ड/समिति विज्ञापित रिक्तियों की 50 प्रतिशत सीमा तक, उपर्युक्त अभ्यर्थियों के नाम भी प्रवर्गवार आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग/बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी को, अध्यपेक्षा किये जाने पर, उस तारीख से जिसको मूल सूची, उनके/उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अद्योषित की गयी है, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, छह मास के भीतर-भीतर कर सकेगा।

**29. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.-** (1) कोई भी अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा/होगी जब तक सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार अनुज्ञ हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा/होगी जब तक सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु,-

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) इस उप-नियम के उपबंध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के उपबंधों के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

- (iv) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
- (v) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

30. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन-नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 8,9,10,11 और 12 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में से योग्यताक्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

#### भाग 5

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

31. विभागीय पदोन्नति समिति का गठन-समिति का गठन निम्नानुसार होगा:-

(क) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले ऐसे पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य  | अध्यक्ष     |
| 2. प्रशासनिक विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो | सदस्य       |
| 3. कार्मिक विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिनी जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो   | सदस्य       |
| 4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  | सदस्य-सचिव। |

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जाती हैं:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य   | अध्यक्ष     |
| 2. संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, शिक्षा विभाग            | सदस्य       |
| 3. संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग           | सदस्य       |
| 4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, प्रारंभिक शिक्षा | सदस्य       |
| 5. संबंधित रैंज का उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा              | सदस्य-सचिव। |



(ग) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आने वाले पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां संबंधित रैंज के संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती हैं:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. संबंधित रैंज का संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा                    | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट एक उप निदेशक           | सदस्य   |
| 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट एक जिला शिक्षा अधिकारी | सदस्य।  |

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई सदस्य था, यथास्थिति, सदस्य-सचिव संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो उस पद का तत्समय प्रभार धारण करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य था, यथास्थिति, सदस्य-सचिव होगा।

32. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया:-(1) इन नियमों के नियम 15 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी जैसे ही रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चल करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं तो वह उप-नियम (6) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो वरिष्ठता-एवं-योग्यता या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II के स्तम्भ 6 में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को उनके द्वारा पदोन्नति के लिए स्तम्भ 7 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने के अध्याधीन रहते हुए स्तम्भ 4 में उपदशित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में इनके सामने विनिर्दिष्ट पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे:

परन्तु,-

- (i) वरिष्ठ अध्यापक पर परिवीक्षाकाल के दौरान उसके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार, विशिष्ट विषय के प्राध्यापक, अतिरिक्त ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी या प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर केवल उसकी पदोन्नति के लिए ही विचार किया जायेगा। परिवीक्षाकाल के दौरान एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। जो व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे उनसे इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् छह मास के भीतर-भीतर यथापूर्वोक्त विकल्प के चयन की अपेक्षा की जायेगी। कोई वरिष्ठ अध्यापक जो यथापूर्वोक्त चयन नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात् जिन्होंने विकल्प दिया था, रिक्तियों की उपलब्धता के अध्याधीन रहते हुए, उनकी वरिष्ठता-एवं-पात्रता के अनुक्रम में किसी पद अर्थात् विशिष्ट विषय का प्राध्यापक, अतिरिक्त ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी या प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।
- (ii) जो वरिष्ठ अध्यापक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के समय स्नातकोत्तर नहीं थे उनसे स्नातकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात्, पदोन्नति के लिए, स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् से तीन माह की कालावधि के भीतर-भीतर, विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।
- (iii) वरिष्ठ अध्यापक, जो अपना विकल्प देता/देती है उसको इसे बदलने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

(iv) वरिष्ठ अध्यापक, जिसने विकल्प देने के पश्चात् अन्य किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, उसे स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् से तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर, अपना विकल्प बदलने का अवसर दिया जायेगा।

(3) सेवा में किसी भी व्यक्ति की प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ/हुई हो।

**स्पष्टीकरण:** यदि किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व किसी पद पर सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, से तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों:

परन्तु,-

- दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।
- जहां किसी व्यक्ति के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्तर्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
- ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(5) सेवा में सम्मिलित पद पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर किया जायेगा:

परन्तु,-

- राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर ही की जायेगी।
- यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष-विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर पद पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो पद पर वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) (i) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या-सीमा निम्नलिखित होगी:-

रिक्तियों की संख्या-

विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या

(क) एक रिक्ति के लिए

पांच पात्र व्यक्ति

- (ख) दो रिक्तियों के लिए - आठ पात्र व्यक्ति  
 (ग) तीन रिक्तियों के लिए - दस पात्र व्यक्ति  
 (घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए- रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

- (ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।
- (iii) जहां अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या-सीमा, रिक्तियों की संख्या के सात गुना तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या-सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा।
- (iv) इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सेवा में के किसी पद के लिए,-  
 (क) यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में समान लेवल में एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से होनी हो तो पे मैट्रिक्स में समान लेवल में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।  
 (ख) यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में भिन्न-भिन्न लेवल वाले एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से होनी हो तो पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए पहले विचार किया जायेगा और यदि पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं हो तो केवल तब ही पे मैट्रिक्स में निम्नतर लेवल में के अन्य पद-प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के लिए विचार की संख्या-सीमा कुल मिलाकर पच्चीस वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र यथा विहित हैं।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के नामों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए, इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची, पद (पदों) के उस प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित की जायेगी, जिसमें से चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर भी एक पृथक सूची तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में आयी हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया

गया है, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को उस समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्पूर्वी वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक जिसके लिए विभागीय समिति की बैठक की जाये प्रवृत्त रहेगी।

(10) उप-नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्यों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हो, के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों/वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी ;

**स्पष्टीकरण :** योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए, किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिए समिति की बैठक आयोजित की गयी है, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्पूर्वी वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, प्राप्त होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष-विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कामावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पदों के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निधारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और आयोग बोर्ड (जहां आयोग बोर्ड सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अर्पित की जायेगी।

(14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये,

सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में के व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उन्हें सूचियों में रखा गया है, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलम्बन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

33. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.- यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर या तो अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्बर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्बर्ती दो भर्ती वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

#### भाग 6

#### नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

34. सेवा में नियुक्ति.- सेवा में के पद पर सीधी भर्ती या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 28 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और नियम 32 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

35. अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति .- (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, उसे सरकार या, यथास्थिति, नियुक्तियों करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न की हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए

पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा:

परन्तु,-

- (i) ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी;
- (ii) सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों, सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य सेवाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्त होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो वह निर्दिष्ट करे, अर्जेंट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकृत कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप-नियम के अधीन यथा अपेक्षित, आयोग की सहमति के अधीन होंगी।

**36. वरिष्ठता.-** सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी:

परन्तु,-

- (1) किसी प्रवर्ग-विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या दीर्घतर कालावधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जाये, सेवाग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम इन नियमों के नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं ;
- (2) यदि दो या अधिक व्यक्ति उसी वर्ष के दौरान सेवा में नियुक्त किये जाते हैं तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से रैंक में वरिष्ठ होगा ;
- (3) ऐसे चयन, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अधीन न हो, के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये हैं ;

- (4) एक ही चयन में वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनसे अगली निम्नतर ग्रेड में की है।
- (5) नियम 6 के उप-नियम (3) के अधीन उपयुक्त न्यायनिर्णित किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी निरंतर सेवावधि के अनुसार अवधारित की जायेगी और वे इन नियमों के प्रारंभ की तारीख तक सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किये गये समस्त व्यक्तियों से सामूहिक रूप में रैंक में कनिष्ठ होंगे।
- (6) पदोन्नति की नियमित पंक्ति में अगले उच्चतम पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, पद पर विभिन्न रैंजों/प्रभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित वरिष्ठताओं का अंतर्गत संबंधित रैंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रखी गयी वरिष्ठता सूची में उनके क्रम स्थान पर विचार किये बिना, पद पर अभ्यर्थियों द्वारा पद ग्रहण की तारीख के आधार पर किया जायेगा।
- (7) ऐसे व्यक्ति, जिसका स्थानान्तरण अपनी पूर्व रैंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी से अन्य रैंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी को हो गया है, का नाम उत्तरकालीन रैंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस पद पर नियुक्त किये गये कनिष्ठतम व्यक्ति से नीचे रखा जायेगा।
- (8) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण, रोस्टर बिन्दुओं के विशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दु पूर्ण हो जाते हैं तत्पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्धान्त का प्रयोग पदोन्नति में किया जायेगा जब कभी भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां आये हों।

**स्पष्टीकरण:** "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

**37. परिवीक्षा की कालावधि.-** (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा:

परन्तु,-

- (i) कोई व्यक्ति जो राज्य सेवा में के प्रारंभिक पद से किसी उच्चतर पद, जिसके लिए शैक्षणिक/वृत्तिक अर्हताओं के अतिरिक्त कुछ अनुभव विहित किया गया है, पर सीधे रूप से भर्ती किया गया है, एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा,

सत्यमेव जयते

- (ii) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसके दौरान किसी व्यक्ति को किसी तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षाकाल के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

**38. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.-** (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष की सेवा के परिवीक्षाकाल

847

के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर छह मास की कालावधि के भीतर या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में एक वर्ष की सेवा की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि :-

- (i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता/करती यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती ;
- (ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यक्षीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता/करती हो ; और
- (iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उक्त उप-नियम में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से इसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण: (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है,-

- (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गयी नियुक्ति ;
- (ख) उस पद पर नियुक्ति, जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के कार्य, क्षेत्र के भीतर हो तो आयोग के परामर्श से भर्ती;
- (ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों ;
- (घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे।



परन्तु इसमें ऐसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्वधान हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

**39. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.-** यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, उस पद पर पदावत कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन किया गया हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा।

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

**40. स्थायीकरण.-** एक परिवीक्षाधीन, परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,-

- (क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण, जैसा कि सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो ;
- (ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और
- (ग) सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

सत्यमेव जयते

भाग 7

वेतन

**41. वेतनमान.-** सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का पे मैट्रिक्स के लेवल में मासिक वेतन वह होगा जो नियम 43 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाये।

**42. परिवीक्षा के दौरान वेतन.-** सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक रूप से नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये।

परन्तु सरकारी सेवा में इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को परिवाक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के पे मैट्रिक्स में उसके स्वयं के लेवल में परिलब्धियां या

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 के उपबंधों के अनुसार नये पद का नियत पारिश्रमिक, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

**43. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन.-** इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य के वेतन, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी:-

- (i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय-समय पर यथा-संशोधित ;
- (ix) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय-समय पर यथा-संशोधित; और
- (x) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये अन्य कोई नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हैं और तत्समय प्रवृत्त हों।

**44. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.-** अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से, जहां आवश्यक हो, आदेश द्वारा इन नियमों के सुसंगत उपबंधों को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी:

परन्तु-

- (i) ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे।
- (ii) इस नियम के अधीन विहित सेवा काल या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।
- (iii) जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं। समिति अनुभव में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा

सुझाने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, ऐसी शर्त कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो के अधीन प्रदान की जायेगी।

45. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों के लागू होने और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

46. निरसन और व्यावृत्ति.- राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 और राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जारी तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

**अनुसूची-1**  
**राज्य सेवा पद**

समूह क: प्रशासनिक विंग							
क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जाती है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अतिरिक्त निदेशक		100 प्रतिशत		संयुक्त निदेशक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव। यदि तीन वर्ष के अनुभव वाला संयुक्त निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो पद, संयुक्त निदेशक के पद पर एक वर्ष का अनुभव सम्मिलित करते हुए संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद पर चार वर्ष के संयुक्त अनुभव वाले संयुक्त निदेशक द्वारा भरा जा सकेगा।	
2	संयुक्त निदेशक		100 प्रतिशत		उप निदेशक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव। यदि तीन वर्ष के अनुभव वाला उप निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो पद, उप निदेशक के पद पर एक वर्ष का अनुभव सम्मिलित करते हुए, उप	

991

1608

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

						निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर चार वर्ष के संयुक्त अनुभव वाले उप निदेशक द्वारा भरा जा सकेगा।
3	उप निदेशक		100 प्रतिशत		जिला शिक्षा अधिकारी	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।
4	जिला शिक्षा अधिकारी		100 प्रतिशत		प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव
5	प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय		निम्न लिखित विखंडों सहित 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा (i) प्रधानाध्यापक/माध्यमिक विद्यालय से 20 प्रतिशत। (ii) प्राध्यापक/अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी में से 80 प्रतिशत।		प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय/प्राध्यापक अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर और बी.एड. या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।
6	प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही किसी विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापक	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव
7	अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा	वरिष्ठ अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।

				परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के साथ किसी विद्यालय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।			
समूह छ: अध्यापन विंग							
1	प्राध्यापक (जीव विज्ञान)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्मजीव-विज्ञान/जीव-प्रौद्योगिकी में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/ सूक्ष्मजीव-विज्ञान/जीव-प्रौद्योगिकी में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	
2	प्राध्यापक (वाणिज्य)	100 प्रतिशत		बी.कॉम के साथ वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही वाणिज्य समूह के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा यथा विहित उच्च माध्यमिक कक्षाओं	वरिष्ठ अध्यापक	बी.कॉम के साथ वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही वाणिज्य समूह के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा यथा विहित उच्च माध्यमिक कक्षाओं के कम से कम दो अध्यापन विषयों में साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथा उल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

953

1610

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

				के कम से कम दो अध्यापन विषय हों। (ii) सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।			
3	प्राध्यापक (संगीत)	100 प्रतिशत		संगीत में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता।	वरिष्ठ अध्यापक	संगीत में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या वैकल्पिक विषय के रूप में संगीत के साथ हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष के अनुभव को सम्मिलित करते हुए 10 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
4	प्राध्यापक (ड्राइंग)	100 प्रतिशत		ड्राइंग या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कला के किसी विद्यालय/महाविद्यालय से कला में पाँच वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	ड्राइंग या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा या स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या वैकल्पिक विषय के रूप में ड्राइंग के साथ हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष के अनुभव को सम्मिलित करते हुए 10 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
5	प्राध्यापक (कृषि)	100 प्रतिशत		कृषि विज्ञान/उद्द्यान कृषि/	वरिष्ठ अध्यापक	कृषि विज्ञान/उद्द्यान कृषि/पशु पालन में से	वरिष्ठ अध्यापकों, जो

				पशु पालन में से किसी के साथ कृषि में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।		किसी के साथ कृषि में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक, 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
6	प्राध्यापक (अन्य विषय)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	सुसंगत विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	सुसंगत विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा वशर्त कि उन्होंने स्नातक स्तर पर सुसंगत विषय का अध्ययन किया हो साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
समूह ग: पुस्तकालय विंग							
1	राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष		100 प्रतिशत		पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
2	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-I		100 प्रतिशत		पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री साथ ही 5 वर्ष का अनुभव या वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 8 वर्ष का अनुभव।	-
समूह घ: शारीरिक शिक्षा विंग							

955

1612

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

1	प्राचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	-	100 प्रतिशत		सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा और शारीरिक शिक्षा में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।
2	सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	-	100 प्रतिशत		उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव
3	उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा	-	100 प्रतिशत		प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा/कोच	शारीरिक शिक्षा या किसी अन्य विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।
4	प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही शारीरिक



				द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा/ एम.पी.एड. (2 वर्ष की अवधि) में स्नातकोत्तर।		शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	
5	कोच	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही शारीरिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा और राष्ट्रीय खेल संस्थान की किसी शाखा से पूर्णकालिक राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) प्रमाणपत्र।	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) से पूर्णकालिक प्रशिक्षण या वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) से शारीरिक शिक्षा और संबंधित पाठ्यक्रम में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

**अनुसूची-II**  
**अधीनस्थ सेवा पद**

समूह क: अध्यापन विंग							
क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वरिष्ठ अध्यापक 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. तृतीय भाषा 6. सामाजिक विज्ञान	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	(i) क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए: वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। (ii) क्रम सं. 4 पर के पद के लिए: वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-रसायन विज्ञान तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। (iii) क्रम संख्यांक 6 पर के पद के लिए: वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में	1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव (i) क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए: वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। (ii) क्रम सं. 4 पर के पद के लिए: वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति	-

				<p>से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।</p>	<p>विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-रसायन विज्ञान तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।</p> <p>(III) क्रम संख्यांक 8 पर के पद के लिए: वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।</p>
2	वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)	-	100 प्रतिशत	-	<p>1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक</p> <p>विद्यमान अध्यापक जो सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं और क्रम संख्यांक 1 के सामने</p>

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

859

1616

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

						स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित विषयों में से किसी विषय के वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं।
3	वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. तृतीय भाषा 6. सामाजिक विज्ञान	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	(i) स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए- वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (ii) स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 4 पर के पदों के लिए- वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-रसायन विज्ञान; तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत	1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक 3. दृष्टि बाधित विद्यालय/मूक-बधिर विद्यालय में अध्यापक	(i) स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिए- वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। (ii) स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 4 पर के पदों के लिए- वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति

			<p>पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा।</p> <p>(iii) स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 6 पर के पद के लिए:-</p> <p>वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा:- इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र;</p> <p>तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री।</p> <p>या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा।</p>		<p>विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-रसायन विज्ञान;</p> <p>तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।</p> <p>(iii) स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 6 पर के पद के लिए:-</p> <p>वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र;</p> <p>तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा</p>	
--	--	--	---	--	--	--

सत्यमेव जयते

						मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।
4	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक		100 प्रतिशत		प्रयोगशाला सहायक	वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, जैव-सूक्ष्मजीवी और जैव-रसायन विज्ञान साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या सीनियर सैकण्डरी साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव।
5	अध्यापक					वरिष्ठता क्रम में, 100 प्रतिशत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से लिये जायेंगे।
6	दृष्टि बाधित विद्यालय/मूक-बधिर विद्यालय में अध्यापक					वरिष्ठता क्रम में, 100 प्रतिशत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

						से लिये जायेंगे।
7	प्रयोगशाला सहायक	100 प्रतिशत		वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम तीन विषयों के साथ सीनियर सैकण्डरी: सूक्ष्मजीव-विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित।		12.5 प्रतिशत पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में संवर्ग में अधिष्ठायी रूप से पद धारण करने वाले प्रयोगशाला अनुकर्मियों/कर्मचारियों में से इस शर्त के अधीन भरे जायेंगे कि वे इन नियमों के अधीन ऐसी भर्ती के लिए अन्यथा पात्र पाए गये हैं।
समूह ख: पुस्तकालय विग						
1	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।
2	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	100 प्रतिशत		सीनियर सैकण्डरी साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में		

				डिप्लोमा।			
समूह ग: शारीरिक शिक्षा विंग							
1	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.)।	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.), और स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव; या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.पी.एड.) और स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव।	दिनांक 01.04.2013 को विद्यमान शारीरिक शिक्षा अध्यापक जिनके पास शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.पी.एड.) है, वे पदोन्नति के पात्र हैं, उनके नि:शेष होने के पश्चात् केवल वे शारीरिक शिक्षा अध्यापक ही, जिनके पास शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) की अर्हता है, पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
2	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	100 प्रतिशत		किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.)।			

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते



## अनुसूची-III

1. प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-

परीक्षा की स्कीम:-

- (1) परीक्षा 600 अंक की होगी।
- (2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 300 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 3 घण्टे की होगी।
- (3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।
- (4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

- (5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:- परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

- (6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं।

प्रश्नपत्र-I सामान्य अध्ययन  
समयावधि: तीन घण्टे

सत्यमेव जयते  
विषय

1	राजस्थान की संस्कृति पर विशेष बल देते हुए राजस्थान, भारत और विश्व का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
2	राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र
3	समसामयिक मामले
4	राजस्थान, भारत, विश्व भूगोल
5	सामान्य विज्ञान

865

प्रश्नपत्र-II शिक्षा और शैक्षिक प्रशासन के बारे में सामान्य बोध

समयावधि : तीन घण्टे

विषय	
1	बौद्धिक योग्यता परीक्षण
2	सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर)
3	शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षणशास्त्र, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य
4	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राजस्थान सेवा नियम, सीसीए नियम, जीएफ एण्ड एआर
5	अध्यापन में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग
6	भाषा योग्यता परीक्षण:- हिन्दी, अंग्रेजी

2. अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-

परीक्षा की स्कीम:-

- (1) परीक्षा 400 अंक की होगी।
- (2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घण्टे की होगी।
- (3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।
- (4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

- (5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।  
प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:- परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।
- (6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं-

प्रश्नपत्र- I सामान्य अध्ययन

समयावधि: दो घण्टे

विषय	
1	राजस्थान की संस्कृति पर विशेष बल देते हुए राजस्थान, भारत और विश्व का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
2	राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र
3	राजस्थान, भारत, विश्व का भूगोल
4	भाषा योग्यता परीक्षण:- हिन्दी, अंग्रेजी
5	सामान्य विज्ञान
6	सांख्यिकी (माध्यमिक स्तर), गणित (माध्यमिक स्तर)

## प्रश्नपत्र- II शिक्षा और शैक्षिक प्रशासन के दारे में सामान्य बोध

समयावधि: दो घण्टे

विषय	
1	समसामयिक मामले
2	बौद्धिक योग्यता परीक्षण
3	अध्यापन में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग
4	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राजस्थान सेवा नियम, सीसीए नियम, जीएफ एण्ड एआर
5	विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य
6	शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षणशास्त्र

3. विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-

- (1) परीक्षा 450 अंकों की होगी।
- (2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र-I 150 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र-II 300 अंकों का होगा। प्रश्नपत्र-I की समयावधि डेढ़ घण्टे की और प्रश्नपत्र-II की समयावधि 3 घण्टे की होगी।
- (3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।
- (4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जायेगा।

स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

- (5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:-परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

- (6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं।

## प्रश्नपत्र-I सामान्य अध्ययन

समयावधि: 1 घण्टा और 30 मिनट

विषय	
1	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास
2	बौद्धिक परीक्षण, सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर), भाषा योग्यता परीक्षण: हिन्दी, अंग्रेजी
3	समसामयिक मामले
4	सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल
5	शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

867

1624

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

## प्रश्नपत्र- II संबंधित विषय

समयावधि: तीन घण्टे

विषय	
1	संबंधित विषय का ज्ञान: सीनियर सैकण्डरी स्तर
2	संबंधित विषय का ज्ञान: स्नातक स्तर
3	संबंधित विषय का ज्ञान: स्नातकोत्तर स्तर
4	शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षणशास्त्र, अध्यापन अधिगम सामग्री, अध्यापन अधिगम में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

## 4. कोच के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-

- (1) परीक्षा 450 अंकों की होगी और स्पोर्ट्स/टूर्नामेण्टों में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे उल्लिखित प्रश्नपत्र-II "टिप्पण" के अनुसार)।
- (2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र-I 150 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र-II 300 अंकों का होगा। प्रश्नपत्र-I की समयावधि डेढ़ घण्टे की और प्रश्नपत्र-II की समयावधि 3 घण्टे की होगी।
- (3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।
- (4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

- (5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:- परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

- (6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं-

प्रश्नपत्र-I सामान्य अध्ययन  
समयावधि: 1 घण्टा और 30 मिनट

विषय	
1	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास।
2	बौद्धिक योग्यता परीक्षण, सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर), भाषा योग्यता परीक्षण: हिन्दी, अंग्रेजी
3	समसामयिक मामले
4	सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल

## प्रश्नपत्र- II संबंधित स्पोर्ट्स

समयावधि: तीन घण्टे

विषय	
1	शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स का ज्ञान
2	स्पोर्ट्स विज्ञान
3	प्रशिक्षण का सामान्य सिद्धान्त और रीति
4	खेलकूद/स्पोर्ट्स और इसके समसामायिक मामलों का विशिष्ट ज्ञान

टिप्पण: (I) स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगे :-

- |   |        |
|---|--------|
| 1. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता। | 40 अंक |
| 2. राष्ट्रीय स्तर पर II स्थान।                                  | 36 अंक |
| 3. राष्ट्रीय स्तर पर III स्थान।                                 | 32 अंक |
| 4. राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राज्य स्तर पर विजेता।          | 28 अंक |
| 5. राज्य स्तर पर II स्थान।                                      | 24 अंक |
| 6. राज्य स्तर पर III स्थान।                                     | 20 अंक |
| 7. राज्य स्तर पर भाग लेना या जिला स्तर पर विजेता।               | 16 अंक |
| 8. जिला स्तर पर II स्थान।                                       | 12 अंक |
| 9. जिला स्तर पर III स्थान।                                      | 08 अंक |
| 10. जिला स्तर पर भाग लेना।                                      | 04 अंक |

टिप्पण: (II) स्तर निम्नानुसार होंगे :-

- जिला स्तर - निम्नलिखित टूर्नामेण्ट जिला स्तर के माने जायेंगे:-
  - प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - संस्कृत शिक्षा विभाग के राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्लस्टर स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
- विश्वविद्यालयों का अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेण्ट।

- राज्य स्तर - निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राज्य स्तर के माने जायेंगे:-
  - प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

- राष्ट्रीय स्तर - निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राष्ट्रीय स्तर के माने जायेंगे:-
  - स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यालय खेल टूर्नामेण्ट।

(ख) राष्ट्रीय या इन्टर जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

4. अन्तरराष्ट्रीय स्तर - इनमें से किसी भी एक संगठन के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेना:- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया।

टिप्पण: (III) स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों का सत्यापन-

(क) स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों पर तभी विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव या संस्थान के प्रधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हों कि भाग लेने वाला संस्था का नियमित छत्र है।

(ख) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेने के या उसमें अर्जित स्थान के स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब उसे संबंधित फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा सत्यापित किया गया हो।

5. वरिष्ठ अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:- परीक्षा 500 अंक की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र-I 200 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र-II 300 अंकों का होगा।



प्रश्नपत्र-I

- (1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
- (2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।
- (3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
- (4) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-
  - (i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
  - (ii) राजस्थान के संसामयिक मामले।
  - (iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
  - (iv) शिक्षा मनोविज्ञान।

(5) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(6) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:-परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

#### प्रश्नपत्र- II

- (1) प्रश्नपत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा।
  - (2) प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी।
  - (3) प्रश्नपत्र में 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
  - (4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।
- स्पष्टीकरण:** गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।
- (5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।
  - (6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-
    - (I) सुसंगत विषय-वस्तु के बारे में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।
    - (II) सुसंगत विषय-वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान।
    - (III) सुसंगत विषय की अध्यापन रीतियाँ।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:-परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

सत्यमेव जयते

6. प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-

- (1) परीक्षा 460 अंकों की होगी और स्पोर्ट्स/टूर्नामेण्टों में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे प्रश्नपत्र-II में उल्लिखित "टिप्पण" के अनुसार)।
- (2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र-I 200 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र-II 260 अंकों का होगा।

#### प्रश्नपत्र-I

- (1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
- (2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।
- (3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
- (4) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-

- (i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
- (ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।
- (iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
- (iv) शिक्षा मनोविज्ञान।

(5) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण:** गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(6) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

**प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:-**परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

#### प्रश्नपत्र-II

- (1) प्रश्नपत्र अधिकतम 260 अंकों का होगा।
- (2) प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे की होगी।
- (3) प्रश्नपत्र में 130 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
- (4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण:** गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-

- (i) सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान
- (ii) स्पोर्ट्स और शारीरिक शिक्षा तथा समसामयिक मामलों का सामान्य ज्ञान।
- (iii) शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त, परिभाषाएं और इतिहास।
- (iv) शिक्षा और खेल मनोविज्ञान।
- (v) शारीरिक शिक्षा की रीतियां, पर्यवेक्षण और आयोजन।
- (vi) प्रशिक्षण और विनिश्चय के सिद्धान्त।
- (vii) शारीरिक रचना का मूल विज्ञान, कृत्य और स्वास्थ्य शिक्षा।
- (viii) आमोद-प्रमोद, कैम्प और योग।

**प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:-**परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।



स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक

शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए स्पोर्ट्स/टूर्नामेण्टों में भाग लेने पर अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे उल्लिखित "टिप्पण" के अनुसार)।

टिप्पण: (I) स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगे :-

1. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता।	40 अंक
2. राष्ट्रीय स्तर पर II स्थान।	36 अंक
3. राष्ट्रीय स्तर पर III स्थान।	32 अंक
4. राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राज्य स्तर पर विजेता।	28 अंक
5. राज्य स्तर पर II स्थान।	24 अंक
6. राज्य स्तर पर III स्थान।	20 अंक
7. राज्य स्तर पर भाग लेना या जिला स्तर पर विजेता।	16 अंक
8. जिला स्तर पर II स्थान।	12 अंक
9. जिला स्तर पर III स्थान।	08 अंक
10. जिला स्तर पर भाग लेना।	04 अंक

टिप्पण: (II) स्तर निम्नानुसार होंगे :-

1. जिला स्तर - निम्नलिखित टूर्नामेण्ट जिला स्तर के माने जायेंगे:
  - (क) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - (ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - (ग) संस्कृत शिक्षा विभाग के राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - (घ) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्लस्टर स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - (ङ) विश्वविद्यालयों का अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेण्ट।
2. राज्य स्तर - निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राज्य स्तर के माने जायेंगे:
  - (क) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - (ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - (ग) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
  - (घ) जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।
3. राष्ट्रीय स्तर - निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राष्ट्रीय स्तर के माने जायेंगे:
  - (क) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यालय खेल टूर्नामेण्ट।
  - (ख) राष्ट्रीय या इन्टर जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।
4. अन्तरराष्ट्रीय स्तर - इनमें से किसी भी एक संगठन के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेना:
  - स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया।

टिप्पण: (III) स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों का सत्यापन-

(क) स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों पर तभी विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव या संस्था के प्रधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हों कि भाग लेने वाला संस्थान का नियमित छात्र है।

(ख) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेने के या उसमें अर्जित स्थान के स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब उसे संबंधित फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा सत्यापित किया गया हो।

7. वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-  
परीक्षा की स्कीम:-

- (1) परीक्षा 600 अंक की होगी।
- (2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 300 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 3 घण्टे की होगी।
- (3) प्रत्येक प्रश्नपत्र में बहुविकल्पी प्रकार के 150 प्रश्न होंगे।
- (4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

- (5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:- परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

- (6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं।

प्रश्नपत्र- I सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:

- (i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
- (ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।
- (iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
- (iv) शिक्षा मनोविज्ञान।
- (v) बाल विकास।
- (vi) विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा और समझ की धारणा।
- (vii) अधिगम और शिक्षणशास्त्र।
- (viii) भाषा-हिन्दी और अंग्रेजी।
- (ix) डाटा प्रबंध और रिपोर्टिंग।

## प्रश्नपत्र- II

प्रश्नपत्र दो भागों में होगा। प्रत्येक भाग में 75 प्रश्न होंगे

## भाग-क

निम्नलिखित में से किसी एक में जिसके लिए यह आवेदन कर रहा है अर्थात् दृष्टिगत हास, श्रवणशक्ति हास, मानसिक मंदता के संबंध में उसे विशेषज्ञता हो।

## 1. दृष्टिगत हास

- दृष्टिगत हास, की प्रस्तावना
- दृष्टिगत हास, के शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य
- दृष्टिगत हास, वाले बालकों के लिए अध्यापन की युक्तियों के अधिगम की रीति

## 2. मानसिक मंदता

- मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों की पहचान और निर्धारण
- मानसिक मंदता-इसके बहु-विषयक पहलू
- पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली
- इन्क्लूसिव सेटअप (Inclusive setup) में अधिगम कठिनाईयाँ वाले बालकों के अधिगम की प्रणाली अन्तर्भूतकारी व्यवस्था/परिस्थिति

## 3. श्रवणशक्ति हास

- विभिन्न निःशक्तताओं की आवश्यकता की प्रकृति-एक प्रस्तावना
- शिक्षा: एक वैश्विक पहलू
- शैक्षणिक योजना और प्रबंध-पाठ्यक्रम संरचना और अनुसंधान
- श्रवणशक्ति हास वाले बालकों में भाषा और संसूचना युक्तियों के विकास को सुविधाजनक बनाना
- श्रव्य सुधार
- श्रवणशक्ति हास वाले बालकों को भाषा और भाषा अध्यापन की प्रस्तावना

सत्यमेव जयते

- सुसंगत विषय-वस्तु के बारे में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान
- सुसंगत विषय-वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान
- सुसंगत विषय की शिक्षण पद्धति।

8. पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड-II और ग्रेड-III के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-  
परीक्षा 400 अंक की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा।

## प्रश्नपत्र-I

- प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
- प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।

875

- (3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।  
(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।  
स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।  
(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।  
(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:  
(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।  
(ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।  
(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।  
(iv) शिक्षा सनोविज्ञान।

**प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:** परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी सीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।



- (1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।  
(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।  
(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।  
(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।  
स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

- (6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-  
(i) ज्ञान जगत  
संरचना और गुण  
विषय निर्माण के तरीके  
विषयों के विभिन्न प्रकार  
ज्ञान जगत के वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में रेखांकन  
(ii) ग्रंथ सूची विवरण

OPAC नियमों को सम्मिलित करते हुए सूची उद्देश्य संरचना एवं भौतिक स्वरूप सूचीकरण के नियामक सिद्धांत प्रलेखीय विवरणों के सिद्धान्तों का विहंगम दृष्टिकोण मानकीकरण विवरण और विनिमय में वर्तमान रुझान सूचीकरण का मानक पाठ्यक्रम

## (iii) ज्ञान संगठन की विधियां

विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान

पुस्तकालय वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत

वर्गीकरण और उनके लागू होने का मानक सिद्धांत

पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार

वर्गीकरण की मानक योजनाएं और उनकी विशेषताएं सी.सी., ई.डी.सी.,

यू.डी.सी.

नोटेशन: आवश्यकता, कार्य, गुण

पुस्तकालय वर्गीकरण, मानक उप-अनुभाग अनुक्रमणिका स्कीमों की डिजाइन और विकास

पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान

## (iv) विषय वर्गीकरण

शिक्षा मनोविज्ञान

विषय वर्गीकरण के सिद्धान्त

विषय शीर्ष सूचियां और उनकी विशेषताएं।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार: परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

## 9. प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-

सत्यमेव जयते

परीक्षा 400 अंक की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा।

## प्रश्नपत्र-I

- (1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
  - (2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।
  - (3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
  - (4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।
- स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

87x

- (5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।
- (6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-
- राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
  - राजस्थान के समसामयिक मामले।
  - विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
  - शिक्षा मनोविज्ञान।

**प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:-**परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

- (1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
- (2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।
- (3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
- (4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण:** गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

- (5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।
- (6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:-
- विज्ञान विषय-वस्तु के बारे में सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।
  - भौतिक विज्ञान विषय-वस्तु के बारे में सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।
  - रसायन विज्ञान विषय-वस्तु के बारे में सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।
  - जीव विज्ञान विषय-वस्तु के बारे में सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

**प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार:-** परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

[सं. एफ.1(3)डीओपी/ए-11/2021]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

## DEPARTMENT OF PERSONNEL

## A-Gr.-II

## NOTIFICATION

Jaipur, July 26, 2021

G.S.R.314 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules regulating recruitment to posts in, and the conditions of service of persons appointed to the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Services, namely:-

PART-I  
GENERAL

- 1. Short title, commencement and application.**— (1) These rules may be called the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service Rules, 2021.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall not apply to the posts governed by the Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014, except as provided in those rules.
- 2. Definitions.**— In these rules unless the context otherwise requires,-
- (a) **"Appointing Authority"** in respect of the posts included in the State Service means the Government and any other officer to whom powers in this behalf may be delegated by the Government by special or general order on such conditions as it may deem fit and in respect of the posts included in the Subordinate Service means the Director, Secondary Education or the Director, Elementary Education, as the case may be, and includes such other officer or authority who may with the approval of the Government be specially empowered by the Director to exercise the powers and perform the functions of the Appointing Authority;
- (b) **"Board"** means the Rajasthan Staff Selection Board;
- (c) **"Commission"** means the Rajasthan Public Service Commission;
- (d) **"Committee"** means the Committee constituted under rule 31;
- (e) **"Department"** means the Secondary/Elementary Education Department;
- (f) **"Director"** means the Director, Secondary Education or the Director, Elementary Education, Rajasthan, as the case may be;
- (g) **"Direct recruitment"** means recruitment made in accordance with the procedure prescribed in Part-IV of these rules;
- (h) **"Government"** means the Government of Rajasthan;
- (i) **"Member of the service"** means a person appointed to a post in the service on the basis of regular selection under the provisions of these rules or the rules or orders superseded by these rules;

- (j) "Schedule" means the schedule appended to these rules;
- (k) "School" means all the schools running under the administrative control of the Elementary Education Department or the Secondary Education Department;
- (l) "Service" means the Rajasthan Educational Service or the Rajasthan Educational Subordinate Service, as the case may be;
- (m) "Service" or "Experience" wherever prescribed in these rules as a condition for promotion from one Service to another or within the Service from one category to another or to senior posts, in the case of a person holding the lower post eligible for promotion to higher post shall include the period for which the person has continuously worked on such lower post after regular selection in accordance with the provisions of the rules promulgated under the proviso to Article 309 of the Constitution of India.

**Note:** Absence during service e.g. training, leave and deputation etc. which are treated as "duty" under the Rajasthan Service Rules, 1951, shall also be counted as service for computing experience or service required for promotion;

- (n) "State" means the State of Rajasthan;
- (o) "Substantive appointment" means an appointment made under the provisions of these rules to a substantive vacancy after due selection by any of the methods of recruitment prescribed under these rules and includes an appointment on probation or as a probationer trainee followed by confirmation on completion of the probationary period.

**Note:** Due selection by any of the methods of recruitment prescribed under these rules shall include recruitment either on initial constitution of service as per rule 5 or in accordance with the provisions of any rules promulgated under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, except an urgent temporary appointment; and

- (p) "Year" means the financial year.

**3. Interpretation.**— Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

## PART-II CADRE

**4. Composition and strength of the Service.**— (1) The nature of posts included in the service shall be as specified in column number 2 of Schedule-I or Schedule II, as the case may be.

(2) The strength of the posts in the service shall be such as may be determined by the Government, from time to time.



(3) There shall be separate cadres in the service as specified in the Groups of Schedule-I and Schedule II -

Provided that the Government may,-

- (a) create any post(s) permanent or temporary, from time to time, as may be found necessary and may abolish any such post(s) in the like manner without thereby entitling any person to any compensation; and
- (b) leave unfilled or hold in abeyance or abolish or allow to lapse any post, permanent or temporary, from time to time, without thereby entitling any person to any compensation.

**5. Initial constitution of the service.-** The service shall consist of,-

- (a) all persons holding substantively the post specified in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, on the date of commencement of these rules;
- (b) all persons recruited to the posts included in the Service before the commencement of these rules; and
- (c) all persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules, except an urgent temporary appointment under rule 35.

### PART-III RECRUITMENT

**6. Methods of recruitment.-** (1) Recruitment to the post in the service after the commencement of these rules shall be made by the following methods in the proportion as indicated in column 3 and 4 of Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, namely:-

- (a) by direct recruitment in accordance with the procedure prescribed in Part-IV of these rules; and
- (b) by promotion in accordance with the procedure prescribed in Part-V of these rules.

(2) Recruitment to the service by the aforesaid methods shall be made in such a manner that the persons appointed to the service by each method do not at any time exceed the percentage laid down in the rules/schedules of the total cadre strength as sanctioned for each category, from time to time:

Provided that if the Appointing Authority, in consultation with the Commission, where necessary, is satisfied that suitable persons are not available for appointment by either method of recruitment in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion may be made in the same manner as specified in these rules.

(3) In case of teachers as referred to in "Group A: Teaching wing" of the Schedule-II Subordinate Service Posts, 100% vacancies shall be filled in by transfer of Primary and Upper Primary School teachers working in schools under Panchayat Samities:

Provided that,-

- (a) the teacher shall be made available strictly on the basis of seniority;
- (b) they possess the minimum qualification prescribed for the posts under the rules; and
- (c) their record has been found satisfactory.

(4) Notwithstanding anything contained in these rules, the recruitment, appointment, promotion, seniority and confirmation etc. of a person who joins the Army/Air Force/Navy during an Emergency shall be regulated by such orders and instructions as may be issued by the Government, from time to time, provided that these are regulated mutatis mutandis according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

**7. Compassionate Appointment of Dependents of the Deceased/Permanently Incapacitated Armed Forces Service Personnel/Paramilitary Personnel.**— (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Appointing Authority may fill the vacancies of the,—

- (i) posts upto Level-9 in Pay Matrix, as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground, one of the dependents of a member of Armed Forces/Para Military Forces belonging to the State who becomes permanently incapacitated on or after 01.04.1999 in any defense operations including counter insurgency operations and operations against terrorists;
- (ii) posts upto Level-10 in Pay Matrix, as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground, one of the dependents of a member of Armed Forces/Para Military Forces belonging to the State who dies on or after 01.04.1999 in any defense operations including counter-insurgency operations and operations against terrorists;
- (iii) posts upto Level-9 in Pay Matrix, as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground one of the dependents of a member of Armed Forces belonging to the State who dies or was permanently incapacitated in war or any defense operations including counter insurgency operations and operations against terrorists during the period from 01.01.1971 to 31.03.1999;

subject to fulfillment of the educational qualifications and other service conditions prescribed under the relevant service rules and with the concurrence of the Department of Personnel and the Rajasthan Public Service Commission, if the post falls within the purview of the Commission:

Provided that,—

- (i) if the Armed Forces/Para Military personnel who are permanently incapacitated are capable of and desirous of obtaining employment for themselves under the State Government, employment shall be given to them;
- (ii) if the widow or the children of the Armed Forces/Para Military personnel who are killed or permanently incapacitated are not in a position to take up employment immediately, employment will be given to them on acquiring of eligibility for appointment;

(2) Appointment shall be given to a dependent of Armed Forces/Para Military personnel only if any one of them has not got appointment on any post under the provisions of concerned service rules prevailing in the Government of India.

(3) Appointment shall not be given to such dependent if any of the other dependents of the Armed Forces/Para Military personnel is already employed on regular basis under the Central/any State Government or Statutory Board/ Organization/ Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central/any State Government at the time of death of the Armed Forces/Para Military Personnel:

Provided that this condition shall not apply where the widow seeks employment for herself.

(4) Such dependent shall address an application for the purpose to the Zila Sainik Kalyan Adhikari in the case of Armed Forces and the Officer Commanding the Para Military Unit for Para Military Forces duly verified by the Head of the Unit where the deceased/permanently incapacitated member of the Armed Forces/Para Military Forces was serving at the time of death/becoming permanently incapacitated. The application shall be considered in relaxation of the normal recruitment rules subject to the condition that the dependent fulfills the academic qualifications and experience, except for appointment to Class IV for which educational qualification shall be relaxed and age limit prescribed for the post and is also otherwise qualified for the Government Service.

(5) The application of such dependent shall be forwarded to the District Collector concerned, for suitable appointment according to the qualifications possessed by the dependent. In the event of non availability of vacancy in the District concerned, the application shall be sent to the Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any District under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner, then the application shall be referred by the Divisional Commissioner to Government in the Department of Personnel for providing appointment.

(6) The application shall contain the following information:-

- (i) Name and designation of deceased/permanently incapacitated Armed Force/ Para Military Force personnel;
- (ii) Unit in which he/she was working prior to death/becoming permanently incapacitated;
- (iii) Date and place of death with death certificate issued by the Authority competent to declare him/her a battle casualty or becoming permanently incapacitated; and
- (iv) Name, date of birth, educational qualification of the applicant and his/her relation with the deceased (with certificates).

Explanation: for the purpose of this rule,-

- (a) "Armed Force" means the Army, Navy and Air Force of the Union;

883

1640

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

- (b) "Dependent" means spouse of the deceased/permanently incapacitated person, son/adopted son, unmarried daughter/in-married adopted daughter who were wholly dependent on the deceased/permanently incapacitated Armed Forces Service Personnel/Para Military Personnel;

Note: Adopted son/daughter means legally adopted son/daughter by the deceased/permanently incapacitated person during his/her life.

- (c) "Para Military Forces" means the Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo Tibetan Border Police and any other Para Military Force, as may be notified by the Central and State Government, from time to time; and
- (d) "Permanently incapacitated" means a person who is covered under the definition of the term person with bench mark disabilities as defined in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).

**8. Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.-**

(1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the orders of the Government for such reservation in force at the time of recruitment i.e. by direct recruitment and by promotion;

(2) The vacancies so reserved for promotion shall be filled in by seniority-cum-merit and merit.

(3) In filling the vacancies so reserved, the eligible candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list prepared for direct recruitment by the Commission/Board or the Appointing Authority, as the case may be, and the Departmental Promotion Committee or the Appointing Authority, as the case may be, in the case of promotees, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Appointments shall be made strictly in accordance with the rosters prescribed separately for direct recruitment and promotion.

(5) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this sub-rule.

Provided further that filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this sub-rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.

(6) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates for promotion amongst the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular

year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward until the suitable Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidate(s), as the case may be, are available. In any circumstances no vacancy reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates shall be filled by promotion from General category candidates. In exceptional cases, where in the public interest, the Appointing Authority feels that it is necessary to fill up the vacant reserved post(s) by promotion from the General category candidates on urgent temporary basis, the Appointing Authority may make a reference to the Department of Personnel and after obtaining prior approval of the Department of Personnel, they may fill up such post(s) by promoting the General category candidate(s) on urgent temporary basis clearly stating in the promotion order that the General category candidate(s) who are being promoted on urgent temporary basis against the vacant post reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates, as the case may be, shall have to vacate the post as and when the candidate(s) of that category become(s) available:

Provided that there shall be no carry forward of vacancies in posts or class/category/group of posts in any cadre or service to which promotions are made on the basis of merit alone, under these rules.

**9. Reservation of vacancies for the Backward Classes and More Backward Classes.-** Reservation of vacancies for the Backward Classes and More Backward Classes shall be in accordance with the provisions of law in force at the time of direct recruitment. In the event of non-availability of eligible and suitable candidates amongst Backward Classes and More Backward Classes in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

**10. Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections.-** Reservation of vacancies for the Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Economically Weaker Sections in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

**Explanation:** For the purpose of this rule 'Economically Weaker Sections' shall be the persons who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under the existing scheme of reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application.

**11. Reservation of vacancies for women.-** Except the posts which are reserved or meant for only woman candidates, for all other posts, the reservation of vacancies for the woman candidates shall be 30% category wise in direct recruitment, out of which one third shall be for widows and divorced woman candidates in the ratio of 80:20. In the event of non availability of eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchange i.e. vacancies reserved for widows to the divorcees or vice versa. In the event of non availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non availability of eligible and suitable woman candidates, the vacancies so

885

885

1642

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy is reserved. The vacancy so reserved for woman candidates shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

**Explanation:** In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.

**12. Reservation of vacancies for Outstanding Sports Persons.-** Reservation of vacancies for outstanding sports persons shall be 2% of the total vacancies outside the purview of the commission in that year earmarked for direct recruitment. In the event of non-availability of the eligible and suitable sports person(s) in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure and such vacancies shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for sports person(s) shall be treated as horizontal reservation and it shall be adjusted in the respective category to which the sports person(s) belong.

**Explanation:** "Outstanding sportspersons" shall mean sportspersons who are bona fide resident of the State of Rajasthan, and

- (i) represented Indian team in individual or in team event in any international tournament/championship of any sports and games mentioned in column number 3 of table given below organized by the international sports body mentioned in column number 2 of the said table,-

Table

S.No.	International Sports Body	Name of the Tournament / Championship
1	2	3
1.	International Olympic Committee [IOC]	Olympic Games (Summer)
2.	Olympic Council of Asia [OCA]	Asian Games
3.	South Asian Olympic Council [SAOC]	South Asian Games; commonly known as SAF games
4.	Commonwealth Games Federation [CGF]	Commonwealth Games
5.	International Sports Federation affiliated to IOC	World Cup / World Championship
6.	Asian Sports Federation affiliated to OCA	Asian Championship
7.	International School Sports Federation [ISSF]	International School Games / Championship
8.	Asian School Sports Federation [ASSF]	Asian School Games / Championship

or

- (ii) medal winner in the individual or in team event in any School National Games of any Sports and Games organized by the School Games Federation of India ;

or

- (iii) medal winner in the individual or in team event in any national tournament/championship of any sports and games organized by the Indian Olympic Association or its affiliated National Sports Federation [N.S.F.] ;

or

- (iv) medal winner in the all India inter university in individual event or in team event in any sports and games, organized by association of Indian universities;

or

- (v) represented Rajasthan in individual or in a team event in national games/ national para games or national championship / para national championship of any sports and games, organised by the India Olympic Association/ Para Olympic Committee of India or its affiliated National Sports Federation.

13. **Nationality.**- A candidate for appointment to the service must be,-

- a citizen of India; or
- a subject of Nepal; or
- a subject of Bhutan; or
- a Tibetan refugee who came over to India before 1<sup>st</sup> January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawai, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d), and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government in the Department of Home Affairs and Justice after proper verification.

14. **Conditions of eligibility of persons migrated from other countries to India.**- Notwithstanding anything contained in these rules, provisions regarding eligibility for recruitment to the service with regard to nationality, age limit and fee or other concessions to a person who may migrate from other countries to India with the intention of permanently settling in India shall be regulated by such orders or instructions as may be issued by the State Government, from time to time and the same shall be regulated *mutatis mutandis* according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

15. **Determination of vacancies.**- (1) Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine on 1<sup>st</sup> April every year the actual number of vacancies occurring during the financial year.

सत्यमेव जयते

(2) Where a post is to be filled in by a single method as prescribed in the Schedules, the vacancies so determined shall be filled in by that method.

(3) Where a post is to be filled in by more than one method as prescribed in the Schedules, the apportionment of vacancies determined under sub-rule (1) above to each such method shall be done maintaining the prescribed proportion for the overall number of posts already

887

1644

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

filled in. If any fraction of vacancies is left over after apportionment of the vacancies in the manner prescribed above, the same shall be apportioned to the quota of various methods prescribed in a continuous cyclic order giving precedence to the promotion quota.

(4) The Appointing Authority shall also determine the vacancies of earlier years, year-wise, which were required to be filled in by promotion, if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in.

**16. Age.-** A candidate for direct recruitment in the service,-

- (a) for the State Service post must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 40 years,
- (b) for Subordinate Service post(s) must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 40 years,

on the 1<sup>st</sup> day of January, next following the last date fixed for receipt of applications:

Provided that,-

(i) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by,-

- (a) 5 years in the case of male candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes;
- (b) 5 years in the case of woman candidates belonging to General category and Economically Weaker Sections;
- (c) 10 years in the case of woman candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes and More Backward Classes;

(ii) the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these rules;

सत्यमेव जयते

(iii) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under these rules;

(iv) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit;



- (v) the upper age limit for the persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking /Corporations in substantive capacity shall be 40 years;
- (vi) the released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army;
- (vii) there shall be no upper age limit in the case of the widows and divorced women;

**Explanation:** In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in the case of a divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.

- (viii) the persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age limit if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment; and
- (ix) if a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than 3 years.

**17. Academic and technical qualifications and experience.-** A candidate for direct recruitment to the post specified in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, shall possess,-

- (i) the qualifications and experience as prescribed in column 5 of Schedule-I or Schedule-II, as the case may be; and
- (ii) working knowledge of Hindi written in Devnagari script and knowledge of Rajasthan Culture:

Provided that the person who has appeared or is appearing in the final year examination of the course which is the requisite educational qualification for the post as mentioned in the rules or schedules for direct recruitment, shall be eligible to apply for the post but he/she shall have to submit the proof of having acquired the requisite educational qualification to the appropriate selection agency:-

- (a) before appearing in the main examination, where selection is made through two stages of written examination and interview;
- (b) before appearing in interview where selection is made through written examination and interview; or

089

1646

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

- (c) before appearing in the written examination or interview, where selection is made through only written examination or only interview, as the case may be.

**18. Character.-** The character of a candidate for direct recruitment to the service must be such as shall qualify him/her for employment in the Service. He/she must produce a certificate of good character from the Principal/Academic Officer of the University or College in which he/she was last educated and two such certificates written not more than six months prior to the date of application from two responsible persons not connected with his/her College or University and not related to him/her.

**Note: (1)** A conviction by a Court of Law need not of itself involve the refusal of certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if, they involve no moral turpitude or association with crimes or violence or with a movement which has as its object to overthrow by violent means of the Government as by law established, the mere conviction need not be regarded as a disqualification.

**(2)** Ex-prisoners who by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct have proved to be completely reformed should not be discriminated against on grounds of their previous conviction for the purpose of employment in the Service. Those who are convicted of offences not involving moral turpitude shall be deemed to have been completely reformed on the production of a report to that effect from the Superintendent, After Care Home or if there are no such Homes in a particular district, from the Superintendent of Police of that district.

**(3)** Those convicted of offences involving moral turpitude shall be required to produce a certificate from the Superintendent, After Care Home or if there is no such Home in a particular district, from the Superintendent of Police of that district endorsed by the Inspector General of Prisons to the effect that they are suitable for employment as they have proved to be completely reformed by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct in an After Care Home.

सत्यमेव जयते

**19. Physical Fitness.-** A candidate for direct recruitment to the service must be in good mental and bodily health and free from any mental and physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties as a member of the service and if selected, must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of a candidate who is already serving in connection with the affairs of the State, if he/she has already been medically examined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two posts held by him/her are held to be comparable for efficient performance of duties of the new post and his/her age has not reduced his/her efficiency for the purpose.

**20. Employment of irregular or improper means.-** A candidate who is or has been declared by the Commission/Board/Appointing Authority/Committee guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or using or attempting to use unfair means in the examination or interview or otherwise

resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at any interview, shall in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be debarred either permanently or for a specified period,-

- (a) by the Commission/Board/Appointing Authority from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission/Board/Committee/Appointing Authority for selection of candidates; and
- (b) by the Government from employment under the Government.

**21. Canvassing.-** No recommendation for recruitment either written or oral other than that required under these rules shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his/her candidature by any means may disqualify him/her for recruitment.

#### PART-IV PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

**22. Competitive Examination.-** All direct recruitments to the various posts in the service shall be made through a competitive examination in accordance with the scheme and syllabus of examination specified in Schedule-III.

**23. Authority for conducting the examination, syllabus and frequency of examination.-** (1) The examination shall be conducted by the Commission or the Board, as the case may be, in accordance with the syllabus prescribed by the Commission or the Board, from time to time.

(2) Direct recruitment to the post specified in the Schedules, shall be held at least once a year, unless the Government decides that a direct recruitment for any of these posts shall not be held in any particular year.

**24. Inviting of Applications.-** (1) Applications for direct recruitment to posts in the service, shall be invited by the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, by advertising the vacancies to be filled in, in the Official Gazette or in such other manner as may be deemed fit. The advertisement shall contain a clause that a candidate who accepts the assignment on the post being offered to him/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the State Government, from time to time, during the period of probation and the pay in Level of the Pay Matrix of the post as shown else-where in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of the period of probation mentioned in these rules:

Provided that while selecting candidates for the vacancies so advertised, the Commission/Board/Committee/Appointing Authority as the case may be, may, if intimation of additional requirement not exceeding 50% of the advertised vacancies, is received by them/it before selection also select suitable persons to meet such additional requirement.

(2) Subject to the provisions of these rules, the Commission/Board/Appointing Authority/Committee may issue, along with the notice or in such other manner as they/it may deem fit, such instructions for the guidance of the candidates as they/it may deem necessary, giving information, among and others on the following details:-

891

1648

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

- (i) Number of vacancies to be filled by direct recruitment, indicating the number of vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes, Economic Weaker Section and women etc.;
- (ii) Date of submission of applications for permission to appear at the examination and the method of submission;
- (iii) Qualifications required for candidates and methods by which these qualifications shall be established;
- (iv) Date and place of examination; and
- (v) Syllabus of examination.

**25. Form of Application and admission to the examination.-** (1) The application shall be made in the form prescribed by the Commission/ Board/Appointing Authority, as the case may be and obtainable from the office of the Commission/ Board/Appointing Authority, as the case may be, on payment of such fee, as the Commission/Board or the Appointing Authority may fix, from time to time.

(2) Before appearing in the examination, the candidate should ensure his/her eligibility in respect of age, educational/professional qualifications, experience etc. as provided in the rules. Being allowed to take the examination/ interview shall not entitle the candidate to presumption of eligibility. The Commission/Board/Appointing Authority as the case may be, shall scrutinize later on the applications of such candidates only as they find suitable for appointment, before preparing the list under rule 28.

(3) The decision of the Commission/Board/Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

**26. Application Fee.-** (1) A candidate for direct recruitment to a post in the service shall pay to the Commission/ Board /Appointing Authority, as the case may be, such fees as are fixed by them/it, from time to time, in such manner as may be indicated by them/it.

(2) No claim for refund of the examination fee shall be entertained nor the fee shall be held in reserve for any other examination, except when the advertisement is cancelled for any reason by the Commission/ Board/Appointing Authority, in which case an amount, as fixed by the Commission/Board/Appointing Authority, shall be deducted before the refund is made.

**27. Scrutiny of Applications.-** The Commission/ Board/Appointing Authority, as the case may be, shall scrutinize the applications received by them/it and require, as many candidates qualified for appointment under these rules as seem to them/it desirable, to appear before them/it, for interview/written test:

Provided that decision of the Commission/ Board/Appointing Authority regarding the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

28. Recommendations of the Commission/Board/Committee/Appointing Authority.- The Commission/ Board or the Committee or the Appointing Authority, as the case may be, shall prepare a list of the candidates, whom they consider suitable for appointment to the post concerned, arranged in the order of merit on the basis of marks obtained in the written examination/interview and forward the same to the Appointing Authority. The Commission/Board or the Committee or the Appointing Authority, as the case may be, shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 40% marks in each of the papers of the competitive examination:

Provided that,-

- (i) the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- (ii) the Commission/Board/Committee may also, to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates on the reserve list category wise. The Commission/ Board may on requisition, recommend names of such candidates, in order of merit to the Appointing Authority, within six months from the date on which the original list is forwarded by them/it to the Appointing Authority.

29. Disqualification for appointment.- (1) No candidate who has more than one spouse living shall be eligible for appointment to the service unless the Government after being satisfied that there are special grounds permissible under the personal law for doing so, exempt any candidate from operation of this rule.

(2) No candidate who is married to a person having already a spouse living shall be eligible for appointment to the service unless Government, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any candidate from the operation of this rule.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she had, at the time of marriage or at any time there-after, accepted any dowry.

**Explanation:** For the purpose of this rule 'Dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act No. 28 of 1961).

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 1<sup>st</sup> June, 2002.

Provided that,-

- (i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1<sup>st</sup> June, 2002, does not increase.
- (ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow under the provisions of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants Rules, 1996.

893

893

1650

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

- (iv) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (v) any candidates who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

§ **30. Selection by the Appointing Authority.-** Subject to the provisions of rule 8, 9, 10, 11 and 12, the Appointing Authority shall select candidates in the order of merit in the list prepared under rule 28:

Provided that inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such inquiry as may be considered necessary that such candidate is suitable in all other respects for appointment to the post concerned.

**PART-V**

**PROCEDURE FOR RECRUITMENT BY PROMOTION**

**31. Constitution of the Departmental Promotion Committee.-** The constitution of the Committee shall be as under:

- (a) For the post(s), appointments where to are to be made by the Government, falling within the purview of the Commission:
  - 1. Chairman of the Commission or a member thereof nominated by him Chairman
  - 2. Secretary-in-charge to the Government in Administrative Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government. Member
  - 3. Secretary-in-charge to the Government in the Department of Personnel or his nominee not below the rank of Deputy Secretary to the Government. Member
  - 4. Director of Secondary Education. Member Secretary
- (b) For the post (s), appointments where to are to be made by the Director, falling within the purview of the Commission:
  - 1. Chairman of the Commission or a member thereof nominated by him. Chairman
  - 2. Joint Secretary/Deputy Secretary to the Government in the Department of Education. Member
  - 3. Joint Secretary/Deputy Secretary to the Government in the Department of Personnel. Member
  - 4. Director of Secondary Education or Elementary Education, as the case may be. Member
  - 5. Deputy Director, Secondary of the range Member Secretary

concerned.

- (c) For the post(s), appointments where to be made by the Joint Director of the range concerned, out side the purview of the commission:
1. Joint Director, Secondary Education of the Chairperson range concerned.
  2. One Deputy Director, nominated by the Member Director, Secondary Education
  3. One District Education Officer, nominated Member by the Director, Secondary Education.

Provided that in case any Member or Member Secretary as the case may be, constituting the committee, has not been appointed to the post concerned, the officer holding charge of the post for the time being shall be the member or member secretary, as the case may be, of the committee.

**32. Criteria, Eligibility and Procedure for Promotion.-** (1) As soon as the Appointing Authority determines the number of vacancies under rule 15 of these rules and decides that a certain number of posts are required to be filled in by promotion, it shall subject to the provisions of sub-rule (6), prepare a correct and complete list of the senior most persons who are eligible and qualified under these rules for promotion on the basis of seniority cum merit or merit.

(2) The persons enumerated in column 6 of Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, shall be eligible for promotion to the post specified against them in column 2 thereof to the extent indicated in column 4 subject to their possessing qualification and experience, on the first day of the month of April of the year of selection, as specified in column 7:

Provided that,-

- (i) the Senior Teacher shall be considered only for promotion on the post of the Lecturer of particular subject, Additional Block Elementary Education Officer or Headmaster Secondary School, as per the option given by him during probation period. The option given once during the probation period shall be final. The persons who were appointed on the post of Senior Teacher before the commencement of these rules shall be required to opt as aforesaid within a period of six months after the commencement of these rules. A Senior Teacher who does not opt as aforesaid shall be considered for promotion to any post i.e. Lecturer of particular subject, Additional Block Elementary Education Officer or Headmaster Secondary School in order of seniority cum eligibility subject to availability of vacancies after the persons who opted have been promoted.
- (ii) the Senior Teachers who have not been post graduate at the time of completion of their probation, shall be required to opt for promotion after they acquire the post graduate qualification, with in a period of three months after getting post graduate qualification.
- (iii) the Senior Teacher, who gives his/her option will not be given chance to change it.

895

1652

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

(iv) the Senior Teacher who has got post graduate degree in another subject after giving option will be given a chance to change his option with in a period of three months after getting the post graduate degree.

(3) No person shall be considered for first promotion in the service unless he/she is regularly selected on the post from which promotion is to be made in accordance with one of the methods of recruitment prescribed under the provisions of these rules.

**Explanation:** In case direct recruitment to a post has been made earlier than regular selection by promotion in a particular year, such of the persons who are or were eligible for appointment to that post by both the methods of recruitment and have been appointed by direct recruitment first, shall also be considered for promotion.

(4) No person shall be considered for promotion for three recruitment years from the date on which his/her promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1<sup>st</sup> June, 2002 :

Provided that,-

- (i) the person having more than two children shall not be deemed to be disqualified for promotion so long as the number of children he/she has on 1<sup>st</sup> June, 2002, does not increase.
- (ii) where a person has only one child from the earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any candidates who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(5) Selection for promotion on the post included in the service shall be made on the basis of seniority-cum-merit :

Provided that,-

- (i) promotion on the highest post in the State service, if it is at least third promotion, shall be made on the basis of merit alone.
- (ii) if the Committee is satisfied that suitable persons are not available for selection by promotion to the post strictly on the basis of merit in a particular year, selection by promotion to the post on the basis of seniority-cum-merit may be made in the same manner as specified in these rules.

(6) (i) The zone of consideration of persons eligible for promotion shall be as under:-



Number of vacancies      Number of eligible persons to be considered

- (a) for one vacancy      five eligible persons  
 (b) for two vacancies      eight eligible persons  
 (c) for three vacancies      ten eligible persons  
 (d) for four or more vacancies      three times the number of vacancies.

(ii) Where the number of eligible persons for promotion to higher post is less than the number specified above all the persons so eligible shall be considered.

(iii) Where adequate number of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, are not available within the zone of consideration specified above, the zone of consideration may be extended upto seven times the number of vacancies and the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, (and not any other) coming within the extended zone of consideration shall also be considered against the vacancies reserved for them.

(iv) for any post in the service, except otherwise provided in the schedules appended to these rules,-

(a) if promotion is from more than one category of posts in the same Level in Pay Matrix, eligible persons upto two in number from each category of posts in the same Level in Pay Matrix, shall be considered for promotion.

(b) if promotion is from more than one category of posts carrying different Level in Pay Matrix, eligible persons in the higher Level of Pay Matrix, shall be considered for promotion first and if no suitable person is available for promotion on the basis of merit or seniority cum merit, as the case may be, in the higher Level in Pay Matrix, then only the eligible persons of other categories of posts in lower Level in Pay Matrix, shall be considered for promotion and so on and so forth. The zone of consideration for eligibility in this case shall be limited to five senior most eligible persons in all.

(7) Except as otherwise expressly provided in this rule, the conditions of eligibility for promotion, constitution of the Committee and procedure for selection shall be the same as prescribed elsewhere in these rules.

(8) The Committee shall consider the cases of all the senior most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of post(s) concerned under these rules and shall prepare a list containing names of the persons found suitable on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules, equal to the number of vacancies determined under these rules. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit and/or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority of the category of post(s) from which selection is made.

(9) The Committee may also prepare a list on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules

897

1654

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

containing names of persons not exceeding the number of persons selected in the list prepared under sub-rule (8) above to fill temporary or permanent vacancies which may occur subsequently. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority in the category of post from which selection is made. Such a list shall be reviewed and revised by the Committee that meets in the subsequent year and that such list shall remain in force till the end of the last day of the year for which the meeting of the Committee is held.

(10) Lists prepared under sub-rule (8) and (9) shall be sent to the Appointing Authority together with Annual Performance Appraisal Reports/Annual Confidential Reports and other service records of all the candidates included in the lists as also of those not selected, if any.

**Explanation:** For the purpose of selection for promotion on the basis of merit, no person shall be selected if he/she does not have "Outstanding" or "Very Good" record of at least four out of seven years preceding the year for which the meeting of the Committee is held.

(11) If in any subsequent year, after promulgation of these rules, vacancies relating to any earlier year are determined under these rules which were required to be filled in by promotion, the Committee shall consider the cases of all such persons who would have been eligible in the year to which the vacancies relate irrespective of the year in which the meeting of the Committee is held and such promotion shall be governed by the criteria and procedure for promotion as was applicable in the particular year to which the vacancies relate and the service/experience of an incumbent who has been so promoted, for promotion to higher post for any period during which he/she has not actually performed the duties of the post to which he/she would have been promoted, shall be counted. The pay of a person who has been so promoted shall be re-fixed at the pay which he would have derived at the time of his/her promotion but no arrears of pay shall be allowed to him/her.

(12) The Government or the Appointing Authority may order for the review of the proceedings of the Committee held earlier on account of some mistake or error apparent on the face of record, or on account of a factual error substantially affecting the decision of the Committee or for any other sufficient reasons e.g. change in seniority, wrong determination of vacancies, judgment/direction of any Court or Tribunal, or where adverse entries in the Confidential Reports of an individual are expunged or toned down or a punishment inflicted on him/her is set aside or reduced. The concurrence of the Department of Personnel and the Commission (where Commission is associated) shall always be obtained before holding the meeting of the review Committee.

(13) Where consultation with the Commission is necessary, the lists prepared by the Committee shall be forwarded to the Commission by the Appointing Authority along with the Annual Confidential Rolls/Annual Performance Appraisal Reports of all the persons whose names have been considered by the Committee.

(14) The Commission shall consider the lists prepared by the committee along with other relevant documents received from the Appointing Authority and unless any change is considered necessary shall approve the lists. In case the Commission considers it necessary to make any change in the lists received from the Appointing Authority, it shall inform the Appointing Authority of the changes proposed by it. After taking into account the comments of the Commission, if any, the Appointing Authority may approve the lists finally with such modification as may, in its opinion, be just and proper and when the Appointing Authority is

an authority subordinate to the Government, the lists approved by the Commission shall be disturbed only with the approval of the Government.

(15) Appointments shall be made by the Appointing Authority taking persons out of the lists finally approved under sub-rule (14) in the order in which they have been placed in the lists, till such lists are exhausted or reviewed and revised or remain in force, as the case may be.

(16) The Government may issue instructions for provisionally dealing with promotions, appointments or other ancillary matters in an equitable and fair manner of persons who may be under suspension or against whom departmental proceedings is under progress at the time promotions are considered to a post to which they are eligible or would have been eligible but for such suspension or pendency of such enquiry or proceedings.

(17) The provisions of this rule shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained elsewhere in any provision of these rules.

**33. Restriction of promotion of persons foregoing promotions.-** In case a person, on his/her appointment by promotion to the next higher post either on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis on the recommendation of the Committee, foregoes such an appointment through his/her written request, and if the concerned Appointing Authority accepts his/her request, the person concerned shall be debarred from consideration for promotion (both on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis) for subsequent two recruitment years for which the Committee is held and the name of such a person who foregoes promotion shall not be included in the seniority-cum-eligibility list to be placed before the Committee for subsequent two recruitment years.

#### PART-VI APPOINTMENT, PROBATION AND CONFIRMATION

**34. Appointment to the service.-** Appointment to the post in the service by direct recruitment or by promotion, as the case may be, shall be made by the Appointing Authority on occurrence of substantive vacancies from the candidates selected under rule 28 in order of merit and by promotion from the persons selected under rule 32 of these rules.

**35. Urgent temporary appointment.-** (1) A vacancy in the service which cannot be filled in immediately either by direct recruitment or by promotion under these rules, may be filled in by the Government or by the Authority competent to make appointments as the case may be, by appointing in an officiating capacity thereto a person eligible for appointment to the post by promotion or by appointing temporarily thereto a person eligible for direct recruitment to the service, where such direct recruitment has been provided under the provisions of these rules:

Provided that,-

- (i) such an appointment shall not be continued beyond a period of one year without referring the case to the Commission for concurrence where such concurrence is necessary and shall be terminated immediately on its refusal to concur.
- (ii) in respect of the service or a post in the service for which both the methods of recruitment have been prescribed, the Government or Appointing Authority, as the case may be, competent to make appointment shall not, save with the specific permission of the Government in the Department of Personnel in the case of state

899

1656

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

service and Government in the Administrative Department concerned in respect of other service, fill the temporary vacancy against the direct recruitment quota by a whole time appointment for a period exceeding three months otherwise than out of persons eligible for direct recruitment and after a short term advertisement.

(2) In the event of non-availability of suitable persons fulfilling the requirement of eligibility for promotion, Government may, notwithstanding the condition of eligibility for promotion required under sub-rule (1) above, lay down general instructions for grant of permission to fill the vacancies on urgent temporary basis subject to such conditions and restrictions regarding pay and other allowances as it may direct. Such appointments shall however be subject to concurrence of the Commission as required under the said sub-rule.

**36. Seniority.-** Seniority of persons appointed to the post encadred in the service shall be determined from the date of appointment on the post after regular selection in accordance with the provisions of these rules. Appointment on ad hoc or urgent temporary basis shall not be deemed to be appointment after regular selection :

Provided that,-

- (1) the inter-se seniority of persons appointed to a post in a particular category by direct recruitment on the basis of one and the same selection, except those who do not join Service when a post is offered to them within a period of six weeks from the date of issue of order or longer, if extended by the Appointing Authority, shall follow the order in which their names have been placed in the list prepared under rule 28.
- (2) if two or more persons are appointed to the service during the same year, a person appointed by promotion shall rank senior to a person appointed by direct recruitment.
- (3) the persons selected and appointed as a result of a selection, which is not subject to review and revision, shall rank senior to the persons who are selected and appointed as a result of subsequent selection.
- (4) the seniority inter-se of persons selected on the basis of seniority cum merit and on the basis of merit in the same selection shall be the same as in the next lower grade.
- (5) the seniority inter-se of the persons adjudged suitable under sub-rule (3) of rule 6 shall be determined according to their length of continuous service and they shall en-bloc rank junior to all the persons appointed regularly by direct recruitment or by promotion upto the date of the commencement of these rules.
- (6) interlacing of seniorities maintained by different ranges/divisions/ appointing authorities on a post, for the purpose of promotion to the next higher post in the regular line of promotion, shall be made on the basis of dates of joining by the candidates to the post irrespective of placement in the seniority list maintained by the range/ division/ appointing authority concerned.
- (7) name of the person who gets transferred to another range/division/appointing authority from the former range/division/appointing authority shall be placed

below the junior most person already appointed to this post by the later range/division/ appointing authority.

- (8) reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority, shall continue till the roster points are exhausted; and adequacy of promotion is achieved. Once the roster points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees occur.

**Explanation:** Adequate representation means 16% representation of the Scheduled Castes and 12% representation of the Scheduled Tribes in accordance with the roster point.

**37. Period of Probation.-** (1) A person entering the service by direct recruitment against a clear vacancy shall be placed as the Probationer-trainee for a period of two years:

Provided that,-

- (i) a person who is directly recruited on a post higher than the initial post of the State Service for which besides academic/ professional qualifications some experience has been prescribed, shall be on probation of one year.
- (ii) any period after such appointment during which a person has been on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation.

(2) During the period of probation specified in sub-rule (1), each probationer trainee may be required to pass such Departmental Examination and to undergo such training as the Government may, from time to time, specify.

**38. Confirmation in certain cases.-** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the preceding rule, a person appointed to a post in the service temporarily or on officiating basis who, after regular recruitment by any one of the methods of recruitment prescribed under these rules, has not been confirmed within a period of six months after satisfactory completion of the period of probation of two years service in case he/she is appointed by direct recruitment as a probationer trainee or within a period of one year's service in case he/she is appointed by promotion, shall be entitled to be treated as confirmed in accordance with his/her seniority if,-

- (i) he/she has worked on the post or higher post under the same Appointing Authority or would have so worked but for his/her deputation or training;
- (ii) he/she fulfills conditions as are prescribed under rule relating to confirmation subject to the quota prescribed under these rules; and
- (iii) permanent vacancy is available in the Department.

(2) If an employee referred to in sub-rule (1) above fails to fulfill the conditions mentioned in the said sub-rule the period mentioned in the said sub-rule may be extended as prescribed for a probationer trainee under the Rajasthan Civil Services (Departmental Examinations) Rules, 1959 and any other rules or by one year, whichever is longer. If the employee still fails to

901

1658

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

fulfill the conditions mentioned in sub-rule (1) above, he shall be liable to be discharged or terminated from such post in the same manner as a probationer trainee or reverted to his substantive or lower post, if any to which he may be entitled.

(3) The employee referred to in sub-rule (1) above, shall not be debarred from confirmation after the said period of service if no reasons to the contrary about the satisfactory performance of his work are communicated to him/her within the said period of service.

(4) The reasons for not confirming of any employee referred to in sub-rule (1) above shall be recorded by the Appointing Authority in his Service Book and Annual Performance Appraisal Report.

Explanation: (i) Regular recruitment for the purpose of this rule shall mean,-

- (a) appointment by either method of recruitment or on initial constitution of service in accordance with the rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution of India;
- (b) appointment to the post for which no Service Rules exist, if the post is within the purview of the Commission, recruitment in consultation with them;
- (c) appointment by transfer after regular recruitment where the Service Rules specifically permit;
- (d) persons who have been made eligible for substantive appointment to a post under these rules shall be treated as having been regularly recruited:

Provided that it shall not include urgent temporary appointment or officiating promotion which is subject to review and revision:

- (ii) Persons who hold lien on another cadre shall be eligible to be confirmed under this rule and they will be eligible to exercise an option whether they do not elect to be confirmed on the expiry of two years of their temporary appointment under this rule. In the absence of any option to the contrary they shall be deemed to have exercised option in favour of confirmation under this rule and their lien on the previous post shall cease.

**39. Unsatisfactory progress during probation.-** If it appears to the Appointing Authority, at any time, during or at the end of the period of probation, that services of a probationer trainee are not found to be satisfactory, the Appointing Authority may revert him/her to the post on which he/she is regularly selected immediately preceding his/her appointment as probationer trainee or in other cases may discharge or terminate him/her from service. The appointing authority shall accord appropriate opportunity to the probationer-trainee before final orders are passed in this respect:

Provided that the Appointing Authority may, if it so thinks fit in any case or class of cases, extend the period of probation of any probationer trainee by a specified period not exceeding one year.

40. **Confirmation.**- A probationer shall be confirmed in his/her appointment at the end of his/her period of probation, if,-

- (a) he/she has passed the departmental examination and has successfully undergone such training, as Government may, from time to time specify;
- (b) he/she has passed departmental test of proficiency in Hindi;
- (c) the Government/Appointing Authority is satisfied that his/her integrity is unquestionable and that he/she is otherwise fit for confirmation.

#### PART-VII

#### PAY

41. **Scale of Pay.**- The monthly Pay in the Level of Pay-Matrix of a person appointed to a post in the service shall be such as may be admissible under the rules referred to in rule 43 or as may be sanctioned by the Government, from time to time.

42. **Pay during probation.**- A probationer trainee appointed to the service by direct recruitment shall be paid monthly fixed remuneration during the period of probation at such rates as may be fixed by the Government, from time to time:

Provided that an employee having been regularly selected as per provisions of these rules in the Government service may be allowed emoluments in his/her own pay Level in pay matrix of the post during service as probationer trainee or fixed remuneration of the new post, as per provisions of rule 24 of Rajasthan Service Rules, 1951.

43. **Regulation of Pay, Leave, Allowances, Pension, Contributory Pension etc.**- Except as provided in these rules, the pay, allowances, Pension, contributory pension, leave and other conditions of service of the members of the service, shall be regulated by,-

- (i) The Rajasthan Service Rules, 1951, as amended from time to time;
- (ii) The Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, as amended from time to time;
- (iii) The Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971, as amended from time to time;
- (iv) The Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971, as amended from time to time;
- (v) The Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, as amended from time to time;
- (vi) The Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998, as amended from time to time;
- (vii) The Rajasthan Civil Services (Contributory Pension) Rules, 2005, as amended from time to time;
- (viii) The Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, as amended from time to time;

- (ix) The Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, as amended from time to time; and
- (x) Any other rules prescribing general conditions of service made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force.

**44. Power to relax rules.-** In exceptional cases where the Administrative Department of the Government is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, it may, with the concurrence of the Department of Personnel, and in consultation with the Commission where necessary by order dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that,-

- (i) such relaxation shall not be less favourable than the provisions already contained in these rules. Such cases of relaxation shall be referred to the Commission by Administrative Department, concerned;
- (ii) relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee;
- (iii) where the prescribed period of experience for promotion to any post is less than 6 years, a committee headed by the Chief Secretary comprising of Principal Secretary Finance, Principal Secretary / Secretary Department of Personnel and Principal Secretary/Secretary of the Administrative Department, may consider the cases where forty five percent or more posts are vacant. The committee is empowered to suggest the quantum of relaxation in experience which may be granted in such cases to address the issue of large number of vacancies in promotional posts subject to condition that such relaxation in experience shall not be more than two years.

**45. Removal of Doubts.-** If any doubt arises relating to the application and scope of these rules, it shall be referred to the Government in the Department of Personnel whose decision thereon shall be final.

**46. Repeal and Saving.-** The Rajasthan Educational Service Rules, 1970 and the Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971 and all orders issued in relation to matters covered by these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules and orders so repealed shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.



Schedule - I  
State Service Posts

Group A : Administrative wing							
S.No.	Name of the post	Method of recruitment		Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotions is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
		Direct	Promotion				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Additional Director	-	100%	-	Joint Director	3 years' experience on the post mentioned in column number 6. If the Joint Director with 3 years' experience is not available, the post may be filled-up by the Joint Director having combined experience of 4 years on the post of Joint Director and Deputy Director, including 1 year's experience on the post of Joint Director.	-
2.	Joint Director	-	100%	सत्यमेव जयते	Deputy Director	3 years' experience on the post mentioned in column number 6. If the Deputy Director with 3 years' experience is not available, the post may be filled-up by the Deputy Director having combined experience of 4 years on the post of	-

905

1662

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

						Deputy Director and District Education Officer, including 1 year's experience on the post of Deputy Director.	
3.	Deputy Director	-	100%	-	District Education Officer	3 years' experience on the post mentioned in column 6.	-
4.	District Education Officer	-	100%	-	Principal, Senior Secondary School	5 years' experience on the post mentioned in column 6.	-
5.	Principal Senior Secondary School	-	100% by promotion with following breakup: (i) 20% from Head Master Secondary School (ii) 80% from Lecturer/ Additional Block Elementary Education Officer		Headmaster Secondary School/ Lecturer/ Additional Block Elementary Education Officer	Post Graduate and B.Ed. or Equivalent examination recognized by UGC with 3 years' experience on the post mentioned in column 6.	-
6.	Headmaster Secondary School	50%	50%	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teachers Education/ Government, with minimum five years' teaching experience in any school.	Senior Teacher	5 years' experience on the post mentioned in column 6	-
7.	Additional	50%	50%	Post Graduate	Senior	Post Graduate	

	Block Elementary Education Officer			or Equivalent examination recognized by UGC with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government, with 5 years' experience of teaching in any school.	Teacher	or Equivalent examination recognized by UGC with 5 years' experience on the post mentioned in column 6	
<b>Group B : Teaching wing</b>							
1.	Lecturer (Biology)	50%	50%	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Zoology/ Botany/ Micro- Biology/ Bio- Technology provided they have Studied Botany and Zoology at Graduation level with degree or diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.	Senior Teacher	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Zoology/ Botany/Micro- Biology/ Bio- Technology provided they have Studied Botany and Zoology at Graduation level with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.	-
2.	Lecturer (Commerce)	100%	-	(i) Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Commerce with B.Com. OR Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Commerce, having atleast two teaching subject for Higher Secondary classes as	Senior Teacher	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Commerce with B.Com. OR Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Commerce, having atleast two teaching subject for Higher Secondary classes as	Till the Senior Teachers, who have qualification as mentioned in column 7 are exhausted, the post shall be filled 50% by direct recruitment and 50% by promotion.

902

1664

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

				prescribed by the Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer for Commerce group. (ii) Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.		prescribed by the Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer for Commerce group with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.	
3.	Lecturer (Music)	100%	-	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Music or the qualification declared equivalent thereto by the Government.	Senior Teacher	Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Music or the qualification declared equivalent therein by the Government with 5 years' experience on the post mentioned in column 6 or Higher Secondary / Secondary with optional Music or equivalent examination recognized by the Government with 10 years' experience including 5 years' on the post mentioned in column 6.	Till the Senior Teachers, who have qualification as mentioned in column number 7 are exhausted, the post shall be filled 50% by direct recruitment and 50% by promotion.
4.	Lecturer (Drawing)	100%	-	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Drawing or the qualification declared equivalent thereto by the Government. OR Diploma of five	Senior Teacher	Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Drawing or the qualification declared equivalent thereto by the Government or	Till the Senior Teachers, who have qualification as mentioned in column number 7 are exhausted, the post

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

				years' duration in Arts of any school / College of Arts recognizad by the Government.		with 5 years experience on the post mentioned in column 6 or Higher Secondary/ Secondary with optional Drawing or the qualification declared equivalent therto by the Government with 10 years experience including 5 years' on the post mentioned in column 6.	shall be filled 50% by direct recruitment and 50% by promotion.
5.	Lecturer (Agricltur)	100%		Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Agriculture in either Agronomy/ Horticulture / Animal Husbandry with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.	Senior Teacher	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Agriculture in either Agronomy/ Horticulture / Animal Husbandry with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.	Till the Senior Teachers, who have qualification as mentioned in column number 7 are exhausted, the post shall be filled 50% by direct recruitment and 50% by promotion.
6.	Lecturer (Other Subject)	50%	50%	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in the relevant subject with degree or diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.	Senior Teacher	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in the relevant subject provided they have Studied the relevant subject at Graduation level with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.	-


909

1666

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

Group C : Library wing							
1.	State Librarian	-	100%	-	Librarian grade I.	5 years' experience on the post mentioned in column 6.	-
2.	Librarian grade I	-	100%	-	Librarian grade II.	Master's degree in Library Science with 5 years' experience or Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC with 8 years' experience on the post mentioned in column 6.	-
Group D : Physical Education wing							
1.	Principal of College Physical Education	-	100%	-	Assistant Director of Physical Education	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC and Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Physical Education with 3 years' experience on the post mentioned in column 6.	-
2.	Assistant Director of Physical Education	-	100%	-	Deputy District Education Officer of Physical Education.	3 years' experience on the post mentioned in column 6.	-
3.	Deputy District Education Officer of Physical Education	-	100%	-	Lecturer of Physical Education/ Coach.	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Physical Education or any other subject with 3 years' experience on the post mentioned in column 6.	-
4.	Lecturer of Physical Education	50%	50%	Graduate or Equivalent examination recognized by UGC and Post	Senior Physical Education Teacher	Graduate or Equivalent examination recognized by UGC with	-



				Graduate in Physical Education/ M.P.Ed. (2 year duration) recognized by the National Council of Teacher Education.		Degree or Diploma in Physical Education with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.	
5.	Coach	50%	50%	Graduate or Equivalent examination recognized by UGC with Degree or Diploma in Physical Education and Full term National Institute of Sports (NIS) Certificate from any branch of National Institute of Sports.	Senior Physical Education Teacher	Graduate or Equivalent examination recognized by UGC with full time NIS Training OR Graduate or Equivalent examination recognized by UGC with Degree or Diploma in Physical Education and concerned Course in National Institute of Sports (NIS) with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.	

**Schedule - II**  
**Subordinate Service Posts**

Group A : Teaching wing							
S.No.	Name of the post	Method of recruitment		Minimum qualification and experience for direct recruitment सत्यमेव जयते	Post from which promotions is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
		Direct	Promotion				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Senior Teacher 1.Hindi 2.English 3.Maths 4.Science 5.Third Language 6.Social Science	50%	50%	(i)For the posts at serial number 1,2,3 and 5 : Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as optional subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of	1.Teacher 2.Laboratory Assistant	Five years' experience on the post mentioned in column number 6 with - (i)For the posts at serial number 1,2,3 and 5 : Graduate or equivalent examination recognized by UGC with	

				<p>Teacher Education/ Government, .</p> <p>(ii) For the post at serial number 4 : Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as optional subject: Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-technology and Bio-chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government, .</p> <p>(iii) For the post at serial number 6 : Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as optional subject: History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government, .</p>	<p>concerned subject as optional subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government, .</p> <p>(ii) For the post at serial number 4 : Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as optional subject: Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-technology and Bio-chemistry, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government, .</p> <p>(iii) For the post at serial number 6 : Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as optional subject:</p>	
--	--	--	--	--	--	--



						History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administratio n and Philosophy, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.
2.	Senior Teacher (General)	--	100%	--	1. Teacher 2. Laborato ry Assistant	Existing Teachers who possess Graduation or equivalent examination recognized by UGC with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government and are not eligible for promotion to Senior Teacher of any of the subjects mentioned in column number 2 against serial number 1.

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

3.	Senior Teacher (Special Education) 1. Hindi 2. English 3. Maths 4. Science 5. Third Language 6. Social Science	50%	50%	<p>(i) For the posts at serial number 1, 2, 3 and 5 in column number 2 :- Graduate or equivalent examination with concerned subject as optional subject; and Degree in Education (Special Education); or Degree in Education (General) with 2 years' Diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India.</p> <p>(ii) For the posts at serial number 4 in column number 2 :- Graduate or equivalent examination with at least two subjects as optional subjects out of the following subjects:- Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-technology and Bio-chemistry; and Degree in Education (Special Education); or Degree in Education (General) with a 2 years' Diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation</p>	1. Teacher 2. Laboratory Assistant 3. Teacher in Blind School/ Deaf and Dumb school	<p>(i) For the posts at serial number 1, 2, 3 and 5 in column number 2 :- Graduate or equivalent examination with concerned subject as optional subject; and Degree in Education (Special Education); or Degree in Education (General) with 2 years' Diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India with 5 years' experience on the post mentioned in column number 5.</p> <p>(ii) For the posts at serial number 4 in column number 2 :- Graduate or equivalent examination with at least two subjects as optional subjects out of the following subjects:- Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-technology</p>
----	--	-----	-----	--	---	---

			<p>Council of India. (ii) For the posts at serial number 6 in column number 2:- Graduate or equivalent examination with at least two subjects as optional subject out of the following subjects:- History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy; and</p> <p>Degree in Education (Special Education); or Degree in Education (General) with 2 years' Diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India.</p> <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>and Bio-chemistry; and Degree in Education (Special Education); or Degree in Education (General) with a 2 years' Diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India with 5 years' experience on the post mentioned in column number 5. (iii) For the posts at serial number 6 in column number 2 :- Graduate or equivalent examination with at least two subjects as optional subjects out of the following subjects:- History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy; and Degree in Education (Special Education); or Degree in Education (General)</p>
--	--	--	---	--

915

1672

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

						with 2 years' Diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India with 5 years' experience on the post mentioned in column number 5.	
4.	Senior Laboratory Assistant	--	100%	--	Laboratory Assistant	Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as optional subjects:- Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-technology and Bio-chemistry with five years' experience on the post mentioned in column number 6 or Senior Secondary with 10 years' experience on the post mentioned in column number 6.	--
5.	Teacher	--	--	--	--	--	100% to be taken from Panchayat Raj and Rural Development Department in order of seniority.

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

6	Teacher in Blind/Deaf & Dumb School	--	--	--	--	100% to be taken from Panchayati Raj and Rural Development Department in order of seniority.
7.	Laboratory Assistant	100%	--	Senior Secondary with any three of the following as Optional subjects: Micro-Biology, Biotechnology and Bio-chemistry, Physics, Chemistry, Biology, Mathematics.	--	12.5% posts shall be reserved for being filled in from amongst the laboratory boys/ Servants in the Secondary Education Department holding the post in the cadre substantively subject to their being found otherwise eligible for such recruitment under these rules.
<b>Group B : Library wing</b>						
1.	Librarian grade II	50%	50%	Graduate or equivalent examination recognized by UGC with degree or diploma in Library Science recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.	Librarian grade III	Graduate or equivalent examination recognized by UGC with degree or diploma in Library Science recognized by the National Council of Teacher Education/ Government, with 5 years' experience on the posts mentioned in column 6.
2.	Librarian grade III	100%	--	Senior Secondary with Certificate in Library Science / Bachelor in Library & Information Science/Diploma in Library & Information	--	--

917

1674

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

				Science recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.			
<b>Group C: Physical Education wing</b>							
1.	Senior Physical Education Teacher	50%	50%	Graduate or equivalent examination recognized by UGC with Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.	Physical Education Teacher	Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) recognized by the National Council of Teacher Education/ Government, and 5 years' experience on the posts mentioned in column 6. OR Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) or Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) recognized by the National Council of Teacher Education/ Government, and 10 year's experience on the posts mentioned in column 6.	The existing Physical Education Teachers on date 01-04-2013, who have qualification Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) or Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) are eligible for promotion, after their exhaust, Physical Education Teacher, who have qualification Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) are only eligible for promotion.
2.	Physical Education Teacher	100%	--	Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination with Certificate in Physical Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.	--	--	--

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

## Schedule-III

**1. Scheme and syllabus of examination for the post of Headmaster Secondary School****Scheme of examination:-**

- (1) The examination shall carry 600 marks.
  - (2) There will be two papers. Both the papers shall be of 300 marks each. Duration of the papers shall be 3 hours each.
  - (3) All the questions in both papers shall be Multiple Choice Type questions
  - (4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

- (5) The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**Syllabus and Scope of Papers:** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission, from time to time and will intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

- (6) Subjects included in both the papers are shown in the table below-

**Paper – I General Studies**

Duration: 3 Hours

**SUBJECTS**

1.	Rajasthan Indian and World history with special emphasis on Rajasthan culture and Indian National Movement.
2.	Indian polity, Indian Economics with special emphasis on Rajasthan.
3.	Current Affairs
4.	Rajasthan, India, World Geography
5.	General Science

**Paper – II General awareness about education and educational administration**

Duration: 3 Hours

**SUBJECTS**

1.	Mental Ability Test
2.	Statistics (Secondary level), Mathematics (Secondary level)
3.	Educational Psychology, Pedagogy, Educational Management at School Level, Educational Scenario in Rajasthan.
4.	Right to Children to free and Compulsory Education Act, 2009, Rajasthan Service Rules, CCA Rules, GF & AR
5.	Use of Computers and information Technology in Teaching
6.	Language ability test: - Hindi, English

**2. Scheme of examination and syllabus for the post of Additional Block Elementary Education Officer.****Scheme of examination:-**

- (1) The examination shall carry 400 marks.

919

1676

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

(2) There will be two papers. Both the papers shall be of 200 marks each. Duration of the papers shall be 2 hours each.

(3) All the questions in both papers shall be Multiple Choice Type questions

(4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

(5) The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**Syllabus and Scope of Papers :-** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

(6) Subjects included in both the papers are shown in the table below-

#### Paper – I General Studies

Duration: 2 Hours

SUBJECTS	
1.	Rajasthan, Indian and World history with special emphasis on Rajasthan culture and Indian National Movement.
2.	Indian polity, Indian Economics with special emphasis on Rajasthan.
3.	Rajasthan, India, World Geography
4.	Language ability test: - Hindi, English
5.	General Science
6.	Statistics (Secondary level), Mathematics (Secondary level)

#### Paper – II General awareness about education and educational administration

Duration: 2 Hours

SUBJECTS	
1.	Current Affairs
2.	Mental Ability Test
3.	Use of Computers and information Technology in Teaching
4.	Right to Children to free and Compulsory Education Act, 2009, Rajasthan Service Rules, CCA Rules, GF & AR
5.	Educational Management at School Level, Educational Scenario in Rajasthan.
6.	Educational Psychology, Pedagogy

### 3. Scheme and syllabus of examination for the post of School Lecturer

(1) The examination shall carry 450 marks.

(2) There will be two papers. Paper I shall be of 150 marks and paper II shall be of 300 marks. Duration of the paper I shall be one and a half hours and the duration of Paper II shall be Three Hours.

(3) All the questions in both papers shall be Multiple Choice Type questions



(4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

(5) The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**Syllabus and Scope of Papers:-** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

(6) Subjects included in both the papers are shown in the table below.

### Paper – I General Studies

Duration: 1 Hour and 30 minutes

SUBJECTS	
1.	History of Rajasthan and Indian history with special emphasis on Indian National Movement.
2.	Mental Ability Test, Statistics (Secondary level), Mathematics (Secondary level), Language ability test: - Hindi, English.
3.	Current Affairs
4.	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan.
5.	Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

### Paper – II Subject Concerned

Duration: 3 Hours

SUBJECTS	
1.	Knowledge of Subject Concerned : Senior Secondary Level
2.	Knowledge of Subject Concerned : Graduation Level
3.	Knowledge of Subject Concerned : Post Graduation Level.
4.	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning.

### 4. Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Coach:-

(1) The examination shall carry 450 marks and maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments. (as per "Note" mentioned below Paper-II).

(2) There will be two papers. Paper I shall be of 150 marks and paper II shall be of 300 marks. Duration of the paper I shall be one and a half hours and the duration of Paper II shall be Three Hours.

(3) All the questions in both papers shall be Multiple Choice Type questions

(4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

(5) The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes

921

1678

राजस्थान राज-पत्र, अगस्त 3, 2021

भाग 4 (ग)

**Syllabus and Scope of Papers :-** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

(6) Subjects included in both the papers are shown in the table below-

**Paper – I General Studies**

Duration: 1 Hour and 30 minutes

SUBJECTS	
1.	History of Rajasthan and Indian history with special emphasis on Indian National Movement.
2.	Mental Ability Test, Statistics (Secondary level), Mathematics (Secondary level), Language ability test: - Hindi, English.
3.	Current Affairs
4.	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan.

**Paper – II Sports Concerned**

Duration: 3 Hours

SUBJECTS	
1.	Knowledge of Physical Education & Sports.
2.	Sports Sciences.
3.	General Theory and Method of Training.
4.	Specific Knowledge of Games/ Sports and its current affairs

Note – (I) Awardable marks on the basis of certificate of the participation & the position gained in sports competition shall be as under:-

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Participation at international level or winner at national level. | 40 marks |
| 2. II position at national level.                                    | 36 marks |
| 3. III position at national level.                                   | 32 marks |
| 4. Participation at national level or winner at state level.         | 28 marks |
| 5. II position at state level.                                       | 24 marks |
| 6. III position at state level.                                      | 20 marks |
| 7. Participation at state level or winner at district level.         | 16 marks |
| 8. II position at district level.                                    | 12 marks |
| 9. III position at district level.                                   | 08 marks |
| 10. Participation at district level.                                 | 04 marks |

Note –(II) Level shall be as under :-

1. District Level - Following tournaments will be considered of district level.-
  - a. District level school tournament of Elementary Education Department.
  - b. District level school tournament of Secondary Education Department.
  - c. State level school tournament of Sanskrit Education Department.
  - d. Cluster level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
  - e. Inter college tournament of Universities.
2. State Level - Following tournament will be considered of state level-

- a. State level school tournament of Elementary Education Department
  - b. State level school tournament of Secondary Education Department.
  - c. National level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
  - d. Inter University tournament at zone level.
3. National level- Following tournaments will be considered of national level-
- a. School games tournament organized by School Games Federation of India at national level.
  - b. Inter University tournament at National or inter zone level.
4. International level. Participation in international tournaments through any one of these organizations:-  
School Games Federation of India, University Sports Association or Sports Federation of India.
- Note -(III) Verification of Sports Certificates -
- a. Sports certificates will be considered if they are verified by Secretary of Rajasthan Sports Council Or Head of the Institute with a mention that participant is a regular student of the Institution.
  - b. Sports Certificate of participation or acquired position in International tournament through School Games Federation of India, University Sport Association or Sports Federation of India will be considered only when the same is verified by the concerned federation/ association.
5. Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Senior Teacher:-  
The examination shall carry 500 marks. There will be two papers. Paper I shall be of 200 marks and paper II shall be of 300 marks.

**Paper-I**

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects:
  - (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
  - (ii) Current Affairs of Rajasthan
  - (iii) General knowledge of world and India.
  - (iv) Educational Psychology

सत्यमेव जयते

5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.  
Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
6. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**Syllabus and Scope of Papers :-** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority as the case may be, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

923

Paper-II

1. The question paper will carry maximum 300 marks.
2. Duration of question paper will be 2 Hours 30 Minutes
3. The question paper will carry 150 question of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.  
Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
5. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Paper shall include following subjects:-
  - (i) Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.
  - (ii) Knowledge of graduation standard about relevant subject-matter.
  - (iii) Teaching Methods of relevant subject

**Syllabus and Scope of Paper :-** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

**6. Scheme and syllabus of competitive examination for the posts Lecturer of Physical Education, Senior Physical Education Teacher and Physical Education Teacher:-**

- (1) The examination shall carry 460 marks and maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments (as per "Note" mentioned below Paper-II).
- (2) There will be two papers. Paper-I shall be of 200 marks and paper-II shall be of 260 marks.

सत्यमेव जयते  
Paper-I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 question of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects:
  - (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
  - (ii) Current Affairs of Rajasthan
  - (iii) General knowledge of world and India.
  - (iv) Educational Psychology
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.  
Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
6. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**Syllabus and Scope of Papers :-** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

### Paper-II

1. The question paper will carry maximum 260 marks.
2. Duration of question paper will be 2 hours.
3. The question paper will carry 130 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.  
Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
5. The minimum qualifying marks for the paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Schedule Casts and Schedule Tribes.
6. Paper shall include following subjects -
  - (i) General Knowledge of Physical Education of Secondary and Senior Secondary standard.
  - (ii) General knowledge of sports and Physical Education and current affairs.
  - (iii) Theories, definitions and History of Physical Education.
  - (iv) Education and Games Psychology.
  - (v) Methods, Supervision and Organizations of Physical Education.
  - (vi) Theories of Training and Decisions.
  - (vii) Science of basic Physical Anatomy, Function and Health Education.
  - (viii) Entertainment, Camp and Yoga.

**Syllabus and Scope of Paper :-** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission/Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

**Awardable marks on the basis of certificate of the participation and the position gained in sports competition** सत्यमेव जयते

**For the post of Lecturer of Physical Education, Senior Physical Education Teacher and Physical Education Teacher maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments.(as per "Note" mentioned below).**

**Note – (I) Awardable marks on the basis of certificate of the participation and the position gained in sports competition shall be as under:-**

1. Participation at international level or winner at national level.	40 marks
2. II position at national level.	36 marks
3. III position at national level.	32 marks
4. Participation at national level or winner at state level.	28 marks
5. II position at state level.	24 marks
6. III position at state level	20 marks
7. Participation at state level or winner at district level	16 marks
8. II position at district level.	12 marks
9. III position at district level.	08 marks

10. Participation at district level.

04 marks

**Note –(II) Level shall be as under :-**

**1. District Level -** Following tournaments will be considered of district level.-

- District level school tournament of Elementary Education Department.
- District level school tournament of Secondary Education Department.
- State level school tournament of Sanskrit Education Department.
- Cluster level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
- Inter college tournament of Universities.

**2. State Level -** Following tournament will be considered of state level-

- State level school tournament of Elementary Education Department
- State level school tournament of Secondary Education Department.
- National level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
- Inter University tournament at zone level.

**3. National level-** Following tournaments will be considered of national level-

- School games tournament organized by School Games Federation of India at national level.
- Inter University tournament at National or inter zone level.

**4. International level:** Participation in international tournaments through any one of these organizations:-

School Games Federation of India, University Sports Association or Sports Federation of India.

**Note –(III) Verification of Sports Certificates –**

- Sports certificates will be considered if they are verified by the Secretary of Rajasthan Sports Council Or Head of the Institute with a mention that participant is a regular student of the Institution.
- Sports Certificate of participation or acquired position in International tournament through School Games Federation of India, University Sport Association or Sports Federation of India will be considered only when the same is verified by the concerned federation/ association.

**7. Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Senior Teacher (Special Education):-**

**Scheme of examination:-**

- The examination shall carry 600 marks.
- There will be two papers. Both the papers shall be of 300 marks each. Duration of the papers shall be 3.00 hours each.
- Both the question papers shall carry 150 question of multiple choices.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

- The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**Syllabus and Scope of Papers :-** The syllabus and scope of papers for the examination will be as prescribed by the Commission, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

(6) Subjects included in both the papers are shown in the table below.

### Paper – I General Studies

Paper shall include following subjects :

- (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
- (ii) Current Affairs of Rajasthan.
- (iii) General knowledge of world and India.
- (iv) Educational Psychology.
- (v) Child Development.
- (vi) Concept of Inclusive Education and Understanding Children with Special Needs.
- (vii) Learning and Pedagogy.
- (viii) Languages - Hindi & English.
- (ix) Data Management and Reporting.

### Paper-II

Paper shall include two parts. Each part shall carry 75 questions.

#### Part-A

Any one of the following that specialization which he/ she have applied for viz Visually Impairment, Hearing Impaired, Mental Retardation.

#### 1. Visual Impairment.

- (i) Introduction to Visual Impairment.
- (ii) Educational Perspective of Visual Impairment.
- (iii) Learning Method of Strategies for Teaching Children with Visual Impairment.

#### 2. Mental Retardation

- (i) Identification and assessment of persons with Mental Retardation.
- (ii) Mental Retardation -Its Multidisciplinary aspects.
- (iii) Curriculum and Teaching Strategies.
- (iv) Methodology of Teaching Children with Learning Difficulties in an Inclusive Set up.

#### 3. Hearing Impaired

- (i) Nature of Needs of Various Disabilities- An Introduction.
- (ii) Education: A Global Perspective.
- (iii) Educational Planning and Management - Curriculum Designing and Research.
- (iv) Facilitating Development of Language and Communication Skills in Children with Hearing Impairment.
- (v) Aural Rehabilitation.
- (vi) Introduction to Speech and Speech Teaching to the Children with Hearing Impairments.

#### Part- B

- (i) Knowledge of Secondary and Senior Secondary standard about relevant subject matter.
- (ii) Knowledge of graduation standard about relevant subject matter.
- (iii) Teaching Methods of relevant subject

927

**8. Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Librarian Grade-II & Grade-III :-**

The examination shall carry 400 marks. There will be two papers. Both Papers shall be of 200 marks each.

**Paper-I**

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2:00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

6. Paper shall include following subjects:

- (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
- (ii) Current Affairs of Rajasthan.
- (iii) General knowledge of world and India.
- (iv) Educational Psychology.

**Syllabus and Scope of Papers :-** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

**Paper-II : Knowledge Organization, Informative Processing and Retrieval.**

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2 Hours.
3. The question paper will carry 100 question of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

6. Paper shall include following subjects:-

- (i)
  - Universe of knowledge
  - Structure and Attributes
  - Modes of formation of subjects
  - Different types of subjects
  - Universe of subjects as mapped in different schemes of Classification.
- (ii)
  - Bibliographic description.
  - Catalog purpose, structure and types physical forms including OPAC filling rules.
  - Normative principals of cataloging.
  - Overview of principles of practice in document description.
  - Current trends in standardization, description and exchange.



- (iii) Standard course of cataloging.  
Methods of knowledge organization.  
General knowledge of world and India.  
General theory of Library classification.  
Normative principles of classification and their applications.  
Species of Library classification.  
Standard schemes of classification and there features, CC, EDC, UDC.  
Notation : need, functions, characteristics.  
Design and development of schemes library classification, standard sub-division index.  
Trends in Library classification.
- (iv) Subject Classification  
Educational Psychology  
Principles of subject classification.

Subject heading lists and there features.

**Syllabus and Scope of Papers :-** The syllabus and scope of papers for the examination will be as prescribed by the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

#### 9. Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Laboratory Assistant :-

The examination shall carry 400 marks. There will be two papers. Both Papers shall be of 200 marks each.

##### Paper-I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
  2. Duration of question paper will be 2:00 hours.
  3. The question paper will carry 100 question of multiple choices.
  4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
- Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
5. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
  6. Paper shall include following subjects:
    - (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
    - (ii) Current Affairs of Rajasthan
    - (iii) General knowledge of world and India.
    - (iv) Educational Psychology

**Syllabus and Scope of Papers :-** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission/ Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

929

**Paper-II**

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2 Hours .
3. The question paper will carry 100 question of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.  
**Explanation:** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
5. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
6. Paper shall include following subjects:-
  - (i) Knowledge of Secondary standard about Science subject matter.
  - (ii) Knowledge of Senior Secondary standard about Physics subject matter.
  - (iii) Knowledge of Senior Secondary standard about Chemistry subject matter.
  - (iv) Knowledge of Senior Secondary standard about Biology subject matter.

**Syllabus and Scope of Papers :-** The syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission / Rajasthan Staff Selection Board/Appointing Authority, as the case may be, deems fit.

Rajasthan Education Department

[No. F. 1 (3) DOP/A-II/2021]

By order and in the name of the Governor,  
JAI SINGH,

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

सत्यमेव जयते

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।